


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 1, 2014/चैत्र 11, 1936

No. 183]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 1, 2014/CHAITRA 11, 1936

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 251(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 26, धारा 27 की उप-धारा (1), धारा 28, धारा 29, धारा 31 की उप-धारा (2), धारा 39 की उप-धारा (3) और (4), धारा 40 की उप-धारा (6), और धारा 42 द्वारा संदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (केंद्रीय सरकार के), साधारण नियम और प्ररूप, 1956 या इन नियमों में समाविष्ट विषयों पर कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन विहित किन्हीं अन्य प्रासंगिक नियमों का, उन बातों के सिवाय, अधिक्रमण करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं .— (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

- (ख) “उपाबंध” से इन नियमों के उपाबंध अभिप्रेत है;
- (ग) “फीस” से कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में विहित फीस अभिप्रेत है;
- (घ) “प्ररूप” या “ई-प्ररूप” से इन नियमों के उपाबंध में दिया गया प्ररूप अभिप्रेत है जिसका प्रयोग उससे संबंधित मामले के लिए किया जाएगा;
- (ङ) “प्रादेशिक निदेशक” से केंद्रीय सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्रादेशिक निदेशक के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या कंपनी (परिभाषाओं के ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम और उक्त नियमों में उनके हैं।

3. प्रास्पेक्टस में विवरणित की जाने वाली सूचना.—(1) जारी की जाने वाली प्रास्पेक्टस में निम्नलिखित बातें अंतर्विष्ट होंगी:

- (क) जारीकर्ता कंपनी, जारीकर्ता कंपनी के अनुपालक अधिकारी, इश्यू के मर्चेन्ट बैंकरों एवं सह-प्रबंधकों, इश्यू के रजिस्ट्रार, इश्यू के बैंकरों, इश्यू के स्टॉक ब्रोकरों, इश्यू से संबद्ध क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, लिखतों के व्यवस्थापकों, यदि कोई हो, के कारपोरेट कार्यालयों के नाम, पता एवं संपर्क ब्यौरे, किसी अन्य ऐसे व्यक्ति का नाम और पता जो प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अपने विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए;
- (ख) इश्यू जारी करने की प्रारंभिक और अंतिम तारीख;
- (ग) प्रास्पेक्टस में बोर्ड या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा इस बाबत घोषणा की जाएगी कि इश्यू बंद करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि या प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अपेक्षाकृत अल्पावधि के भीतर आबंटन पत्र जारी किए जाएंगे या आवेदन राशि वापस की जाएगी अन्यथा आवेदन राशि आवेदक को तुरंत वापस कर दी जाएगी, जिसके न हो सकने पर आवेदक को विलंबित अवधि के लिए प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज राशि का भुगतान देय होगा।
- (घ) बोर्ड द्वारा की गई है यह घोषणा कि इश्यू से प्राप्त संपूर्ण राशि शिड्यूल्ड बैंक के पृथक बैंक खातों में अंतरित की जाएगी;
- (ङ) पब्लिक प्रस्ताव के माध्यम से पूर्ववर्ती इश्यू में संग्रहित राशि में से उपयोजित और अनुपयोजित सभी राशियों के ब्यौरे का तुलन-पत्र में तब तक प्रकटन किया जाएगा और प्रकटन किया जाता रहेगा जब तक कि ऐसे पूर्ववर्ती इश्यू के आगम का कोई अंश अनुपयोजित नहीं रहता है एवं इसमें ऐसी राशि का उपयोग किए जाने का कारण और प्रतिभूतियों या किसी अन्य स्वरूप की वित्तीय आस्तियों जिसमें ऐसी अनुपयोजित राशि का विनिधान किया गया हो, के उपदर्शित किया जाएगा;
- (च) हामीदारों के नाम, पता, दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या और ई-मेल पता और उनके द्वारा बीमाकृत राशि;

(छ) इश्यू के न्यासियों, सॉलीसिटर्स या अधिवक्ताओं, मर्चेन्ट बैंकरों, इश्यू रजिस्ट्रार, उधारदाताओं एवं विशेषज्ञों की सहमति;

(2) कंपनी के पूंजीगत ढांचे को निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत किया जाएगा:-

(i)(क) प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त एवं समादत्त पूंजी (प्रतिभूतियों की संख्या, विवरण और कुल अभिहित मूल्य);

(ख) वर्तमान इश्यू का आकार;

(ग) समादत्त पूंजी -

(अ) इश्यू जारी करने के पश्चात्।

(आ) संपरिवर्तनीय लिखतों के संपरिवर्तन (यदि प्रयोज्य हो) के पश्चात्;

(घ) शेयर प्रीमियम खाता (इश्यू के पूर्व एवं पश्चात्);

(ii) सारणीबद्ध रूप में जारीकर्ता कंपनी की वर्तमान शेयर पूंजी के ब्यौरे, जिसमें प्रत्येक आबंटन, आबंटन की तारीख, आबंटित शेयरों की संख्या, आबंटित शेयरों का अंकित मूल्य, प्रतिफल की कीमत एवं स्वरूप को उपदर्शित किया गया हो:

परंतु किसी वर्तमान कंपनी के प्रारंभिक पब्लिक प्रस्ताव के मामले में, व्यक्तिगत आबंटन का ब्यौरा जारीकर्ता कंपनी के निगमन की तारीख से और किसी सूचीबद्ध जारीकर्ता कंपनी के मामले में, प्रास्पेक्टस फाइल करने की तारीख से ठीक पांच वर्ष पूर्व अवधि के लिए ब्यौरा दिया जाएगा:

परंतु यह और कि प्रास्पेक्टस की तारीख से पिछले दो वर्षों में किए गए प्रत्येक आबंटन की संख्या और मूल्य का जारीकर्ता कंपनी प्रकटन भी करेगी, जिसमें नकद राशि से भिन्न प्रतिफलों के लिए किए गए आबंटनों एवं प्रत्येक मामले में प्रतिफल के ब्यौरे को पृथक रूप से उपदर्शित किया गया हो;

(3) जारी किए जाने वाले प्रास्पेक्टस में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:—

(क) इश्यू का उद्देश्य;

(ख) वह प्रयोजन जिसके लिए निधियों की अपेक्षा है;

(ग) वित्त पोषण योजना (वित्त के साधन);

(घ) परियोजना अंकन रिपोर्ट का सार (यदि कोई हो);

(ङ) परियोजना के कार्यान्वयन की अनुसूची;

(च) निधियों का अन्तरिम उपयोग, यदि कोई हो।

(4) जारी किए जाने वाले प्रास्पेक्टस में निम्नलिखित ब्यौरे और प्रकटन होंगे, अर्थात्:—

(i) प्रास्पेक्टस में जारी होने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती विगत पांच वर्षों के दौरान जारीकर्ता कंपनी के किसी प्रवर्तक के विरुद्ध सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग या कानूनी प्राधिकरण द्वारा किया गया या लंबित कोई मुकदमा या

विधिक कार्रवाई और ऐसे मुकदमे या विधिक कार्रवाई की समाप्ति के पश्चात् ऐसे मंत्रालय या विभाग या कानूनी प्राधिकरण द्वारा जारी निदेश के ब्यौरे का प्रकटन किया जाएगा:—

(ii) जारीकर्ता कंपनी, प्रवर्तक, निदेशक, समनुषंगी कंपनियों, समूह कंपनियों या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध लंबित कानूनी मुकदमे के ब्यौरे, जिसके बारे में निर्णय आने पर जारीकर्ता कंपनी की स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(iii) आर्थिक अपराधों के लिए जारीकर्ता कंपनी के विरुद्ध संस्थित लंबित कार्यवाहियों के ब्यौरे;

(iv) चूक और कानूनी दे की गैर-अदायगी, इत्यादि।

(5) कंपनी के निदेशकों के ब्यौरे जिसके अंतर्गत उनकी नियुक्ति एवं पारिश्रमिक, कंपनी में उनके हित की प्रकृति और विस्तार की विशिष्टियां भी हैं, का प्रकटन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:-

(i) नाम, पदनाम, निदेशक पहचान संख्या (डिन), आयु, पता, निदेशक पद पर कार्य की अवधि, अन्य निदेशक पदों के ब्यौरे;

(ii) जारीकर्ता कंपनी, इसकी समनुषंगी कंपनी, समूह कंपनी द्वारा निदेशक को संदेय या संदत्त पारिश्रमिक राशि, किसी स्टॉक विकल्प सहित कंपनी में निदेशक की शेयरधारिता, समनुषंगी कंपनियों और समूह कंपनियों में शेयरधारिता, किसी कार्यालय में या लाभ के स्थान पर किसी नातेदार की नियुक्ति;

(iii) प्रत्येक निदेशक का हित, यदि कोई हो, का स्वरूप एवं विस्तार की पूर्ण विशिष्टियां:

(क) जारीकर्ता कंपनी के संवर्धन में; या

(ख) प्रास्पेक्टस की तारीख से पूर्ववर्ती दो वर्षों में जारीकर्ता कंपनी द्वारा अर्जित किसी स्थावर संपत्ति या इसके द्वारा अर्जित की जाने वाली कोई प्रस्तावित स्थावर संपत्ति।

(iv) जहां ऐसे किसी निदेशक का हित किसी फर्म या कंपनी के सदस्य होने में सम्मिलित हो, फर्म या कंपनी में उसके हित के स्वरूप एवं विस्तार, नकद या शेयरों में अन्यथा उसे निदेशक होने के लिए उत्प्रेरित करने या निदेशक बनने में सहायता करने, या अन्यथा जारीकर्ता कंपनी के संवर्धन एवं गठन के संबंध में उसके या फर्म या कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं के लिए उसे या फर्म या कंपनी को संदत्त सभी राशि या संदाय की जानी के लिए सहमत राशि के विवरण के साथ तथ्यों का प्रकटन किया जाएगा।

(6) प्रवर्तक अंशदान का स्रोत, यदि कोई हो, का प्रकटन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) प्रवर्तकों की कुल शेयरधारिता, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रवर्तक का नाम, इश्यू का स्वरूप, आबंटन की तारीख, शेयरों की संख्या, अंकित मूल्य, इश्यू कीमत या प्रतिफल, अभिदत्त निधि का स्रोत, शेयरों के पूर्णतः समादत्त करने की तारीख, कुल पूर्व एवं पश्च इश्यू पूंजी की प्रतिशतता का विवरण;

(ii) कंपनी के शेयरों और प्रवर्तकों द्वारा पूर्व में धारित इसकी समनुषंगी कंपनियों के शेयरों की विक्रय से आगम है;

- (iii) प्रवर्तकों के अंशदान के स्रोतों के प्रकटन में प्रवर्तकों द्वारा अपना नाम, पता और ऐसे अंशदान करने के लिए ऋण, वित्तीय सहायता इत्यादि से प्राप्त राशि, यदि कोई हो, कि विशिष्टियां और अपने स्वयं के स्रोतों के मामले में, उसके पूर्ण ब्यौरे भी सम्मिलित होंगे।

4. प्रास्पेक्टस में उपवर्जित की जाने वाली रिपोर्टिंग .—प्रास्पेक्टस के साथ निम्नलिखित रिपोर्ट उपवर्जित की जाएगी, अर्थात्:—

(1) लेखापरीक्षकों द्वारा लाभ और हानि एवं आस्तियों और दायित्वों के संबंध में रिपोर्ट।

स्पष्टीकरण.—इस उप-नियम के प्रयोजनार्थ, इस रिपोर्ट में प्रास्पेक्टस के जारी होने के वर्ष के ठीक पूर्व के पांच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए शेयरों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में जारीकर्ता कंपनी द्वारा संदत्त लाभांश, यदि कोई हो, की राशि या दर भी सम्मिलित होगी, जिसमें उन शेयरों की प्रत्येक श्रेणी का विशिष्टियां जिन पर ऐसे लाभांश संदत्त किए गए हों और उन वर्षों से किसी वर्ष के लिए शेयरों की किसी श्रेणी के संबंध में कोई लाभांश संदत्त नहीं किए जाने के मामलों की विशिष्टियां दी गई हो:

परंतु यदि प्रास्पेक्टस के जारी होने के तीन माह पूर्व किसी तारीख को समाप्त होने वाली पांच वर्ष की अवधि के किसी भाग के बारे में कोई लेखा नहीं रखा गया हो, तो ऐसे लेखों की जांच कर लिए जाने और सही पाए जाने के बावत लेखापरीक्षकों से प्राप्त प्रमाण-पत्र के साथ उस अवधि के समाप्त होने की तारीख को आस्तियों एवं दायित्वों से संबंधित स्थिति और अवधि के दौरान होने वाले लाभ या हानि को उपदर्शित करने वाले प्रास्पेक्टस के जारी होने की तारीख से छः माह के अपूर्व तक की उक्त अवधि के भाग के संबंध में जारीकर्ता कंपनी के लेखों के बारे में विवरण सहित तथ्य के विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उस विवरण में किए गए या अभी किए जाने वाले उपबंधों या समायोजनों के स्वरूप को उपदर्शित किया जा सकेगा।

(2) पांच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष या पांच वर्ष की अवधि समाप्त नहीं होने की स्थिति में प्रास्पेक्टस के जारी होने के वित्तीय वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष के लिए लाभों एवं हानियों के बारे में रिपोर्ट निम्नलिखित से ब्यौहार करेगी—

(क) यदि कंपनी की उसके लाभ एवं हानि से संबद्ध कोई समनुषंगी कंपनियां नहीं है, जो प्रास्पेक्टस के जारी होने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि से (गैर-आवर्ती स्वरूप की हर मद को अलग-अलग देखते हुए) से ब्यौहार करेगी;

(ख) यदि कंपनी के पास ऐसी समनुषंगी कंपनियां हैं तो खंड (क) में यथा उपबंधित, जारीकर्ता कंपनी के लाभ एवं हानि से पृथक के रूप से ब्यौहार करेगी—

(i) अपनी समनुषंगी कंपनियों के संयुक्त लाभ या हानि के साथ समग्र रूप से जहां तक उनका संबद्ध जारीकर्ता कंपनी के सदस्यों से है; या

(ii) प्रत्येक समनुषंगी कंपनी के लाभ या हानि से पृथक रूप से, जहां तक उनका संबद्ध जारीकर्ता कंपनियों के सदस्यों से हैं; या

(iii) अपनी समनुषंगी कंपनियों के संयुक्त लाभ या हानि से कंपनी के लाभ एवं हानि से संपूर्ण रूप से, जहां तक उनका संबंध जारीकर्ता कंपनी के सदस्यों से है।

(3) कंपनी के कारबार के बारे में लेखापरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का विवरण उप-नियम (2) में उपबंधित रीति से प्रास्पेक्टस में किया जाएगा।

5. प्रास्पेक्टस में विवरणित किए जाने वाले अन्य विषय और रिपोर्ट.—प्रास्पेक्टस में निम्नलिखित अन्य विषय और रिपोर्ट सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) यदि शेयरों या डिबेंचर के इश्यू के आगम या आगम के किसी अंश का उपयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कार्य के लिए किया जाता है—

(क) किसी कारबार में खरीद के लिए; या

(ख) किसी कारबार में किसी हित की खरीद के लिए और उस खरीद के कारण या इसके संबंध में या इसके परिणामस्वरूप कोई भी किए जाने वाला कार्य, कंपनी ऐसे कारोबार में उसके 50 प्रतिशत से अधिक होने पर पूंजी या लाभ और हानि में या दोनों में हित की हकदार हो जाएगी।

निम्नलिखित के संबंध में चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसके नाम का उल्लेख प्रास्पेक्टस में किया जाएगा) द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी—

(i) प्रास्पेक्टस के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व की पांच वित्तीय वर्ष की अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए कारबार में होने वाले लाभ एवं हानि; और

(ii) कारोबार का लेखा-जोखा प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख को कारोबार की आस्तियां एवं दायित्वों, जो प्रास्पेक्टस के जारी करने की तारीख से एक सौ बीस दिन से अधिक पहले की नहीं होगी;

(ग) किसी स्थावर संपत्ति की खरीद या अर्जन में, जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति का अप्रत्यक्ष अर्जन भी है, जिसके लिए तृतीय पक्षकार को भी अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया गया है, के लिए निम्नलिखित प्रकटन किया जाएगा—

(i) विक्रेताओं के नाम, पता, विवरण और उपजीविका;

(ii) विक्रेता को नकद में भुगतान की गई या की जाने वाली राशि और, एक से अधिक विक्रेता होने या कंपनी के उप-क्रेता होने की स्थिति में, प्रत्येक विक्रेता को भुगतान की गई या की जाने वाली ऐसी राशि, सद्भावना के लिए भुगतान की गई या की जाने वाली राशि, यदि कोई हो, को पृथक रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए;

(iii) कंपनी द्वारा अर्जित की जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी संपत्ति में हक या हित का स्वरूप; और

(iv) संपत्ति के संबद्ध प्रत्येक संव्यवहार का विशिष्टियां जो, दो पूर्ववर्ती वर्षों में पूर्ण हुए हैं, जिसमें संपत्ति के किसी विक्रेता या किसी ऐसे व्यक्ति जो संव्यवहार के समय कंपनी का प्रवर्तक या ऐसे निदेशक या प्रस्तावित निदेशक हैं या था, का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई हित था, संव्यवहार की तारीख और ऐसे प्रवर्तक, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक के नाम को विनिर्दिष्ट किया जाएगा और संव्यवहार के संबंध में ऐसे विक्रेता, प्रवर्तक, निदेशक या प्रस्तावित निदेशक के द्वारा या उसको भुगतान की जाने वाली राशि का विवरण दिया जाएगा।

(2)(क) यदि—

(i) शेयरों या डिबेंचरों के इश्यू के आगम या आगमों के किसी अंश का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है या किया जाना है और इसके परिणामस्वरूप कंपनी द्वारा शेयरों का अर्जन किसी अन्य निगमित निकाय में किया जाता है; और

(ii) उस अर्जन या उसके परिणामस्वरूप किए गए या इससे संबंधित किसी कार्य के कारण वह निगमित निकाय कंपनी की समनुषंगी कंपनी बन जाए,

चार्टर्ड अकाउंटेंट (जिसके नाम का उल्लेख प्रास्पेक्टस में किया जाएगा) द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी -

(अ) प्रास्पेक्टस के जारी होने से ठीक पूर्व पांच वित्तीय वर्षों में प्रत्येक वर्ष के लिए अन्य निगमित निकाय का लाभ या हानि; और

(आ) अन्य निगमित निकाय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख को उसकी आस्तियां और देयताएं।

(ख) उक्त रिपोर्ट में -

(i) यह दर्शाया जाएगा कि कैसे अर्जन किए जाने वाले शेयरों के बारे में रिपोर्ट में निर्दिष्ट अन्य निगमित निकाय के लाभ या हानि से जारीकर्ता कंपनी के सदस्यों पर प्रभाव पड़ता और शेष शेयरों के धारकों के लिए परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के संबंध में क्या भत्ता दिया जाना अपेक्षित होता, यदि जारीकर्ता कंपनी अर्जन किए जाने के लिए प्रस्तावित शेयरों को सभी महत्वपूर्ण समयों में धारित किए रहती; और

(ii) जहां अन्य निगमित निकाय के पास समनुषंगी कंपनियां हैं, जो खंड (क) के उप-खंड (ii) में यथा उपबंधित रीति से निगमित निकाय और इसकी समनुषंगी कंपनियों के लाभ या हानि और आस्तियां एवं और देय पर विचार करेगी।

(3) ऋण के पुनः परिगणित, पूर्वभुगतान, शास्ति, चूक के साथ मियादी ऋण के निबंधन और शर्तों से संबंधित मामले।

(4) कंपनी रजिस्ट्रार के पास प्रास्पेक्टस फाइल करने की तारीख से ठीक पूर्व की छह माह की अवधि के भीतर प्रवर्तक समूह और उस कंपनी का निदेशक जो जारीकर्ता कंपनी की प्रवर्तक है और जारीकर्ता कंपनी के निदेशक और उनके नातेदारों द्वारा जारीकर्ता कंपनी और उसकी समनुषंगी कंपनियों की खरीदी या विक्रय गई प्रतिभूतियों की कुल संख्या का प्रकटन किया जाएगा।

(5) महत्वपूर्ण संविदाओं और दस्तावेजों की जांच से संबंधित मामले।

(अ) सारवान संविदाएं;

(आ) अन्य सारवान संविदाएं;

(ई) वह समय और स्थान, जहां पर प्रास्पेक्टस निकलने से अभिदान सूची के समाप्त होने की तारीख तक उस तारीख तक जहां पर दस्तावेज के साथ संविदाओं के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

(6) प्रास्पेक्टस जारी करने के वर्ष के ठीक पूर्व पांच वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए संबंधित पक्षकार संव्यवहार निम्नानुसार है -

(क) ऋण या गारंटी देने, दिए गए ऋण से संबंधित प्रतिभूति प्रदान करने या विनिधान करने के संबंध में संबंधित पक्षकारों के सभी संव्यवहार;

(ख) सभी अन्य संव्यवहार जो जारीकर्ता कंपनी या संबंधित पक्षकार के लिए सारवान है, या माल, सेवा, या मूर्त या अमूर्त आस्तियों के अंतर्गत कोई संव्यवहार जो अपनी प्रकृति या परिस्थिति में अप्रायिक है जिसमें जारीकर्ता कंपनी या मूल कंपनी एक पक्षकार थी।

परंतु यह कि इन नियमों की अधिसूचना जारी होने से पूर्व की अवधि के दौरान संबंधित पक्षकार के संव्यवहारों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 और उक्त समय पर वर्तमान लेखा मानकों के अनुसार प्रकटन अपेक्षाओं की सीमा तक किया जाएगा।

(7) प्रास्पेक्टस जारी होने के वर्ष के ठीक पूर्व पांच वित्तीय वर्षों में लेखापरीक्षकों की आपत्तियों या प्रतिबंधक शर्तों या प्रतिकूल टिप्पणियों का सार और कंपनी के वित्तीय विवरणों और वित्तीय स्थिति पर उनका प्रभाव और कंपनी द्वारा उक्त प्रत्येक शर्तों या प्रतिबंधक टिप्पणियों के लिए किए गए और किए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय।

(8) कंपनी और उसकी सभी समनुषंगी कंपनियों के मामले में प्रास्पेक्टस के जारी होने के वर्ष के ठीक पूर्व के विगत पांच वर्षों में आरंभ की गई या संचालित किन्हीं जांचों या निरीक्षणों या अन्वेषणों और प्रास्पेक्टस के जारी होने के वर्ष के ठीक पूर्व के विगत पांच वर्षों में अपराधों के लिए लगाई गई शास्ति का भी ब्यौरा।

(9) विगत पांच वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध किए गंभीर कपट (धोखाधड़ी) के कृत्यों, यदि कोई हो, और ऐसे होने पर कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा।

(10) प्रास्पेक्टस के प्रारंभ में निम्नलिखित तथ्य-पत्र सम्मिलित किया जाएगा-

(क) प्रास्थापना दस्तावेज ("रेड हेरिंग प्रास्पेक्टस "या" शेल्फ प्रास्पेक्टस" या "प्रास्पेक्टस");

(ख) जारीकर्ता कंपनी का नाम, इसके निगमित होने की तारीख और स्थान, इसका लोगो (प्रतीक) चिह्न, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता, इसका दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का ब्यौरा, वेबसाइट पता, ई-मेल पता;

(ग) जारीकर्ता कंपनी की प्रवर्तकों के नाम;

(घ) प्रास्थापित की गई प्रतिभूतियों का स्वरूप, संख्या, कीमत और राशि और इश्यू का आकार, जहां तक प्रयोज्य हो;

- (ङ) शेल्फ प्रास्पेक्टस के माध्यम से विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों के लिए प्रस्तावों ऑफरों के सभी चरणों के माध्यम से प्राप्त होने वाली कुल प्रस्ताव राशि;
- (च) इश्यू रजिस्ट्रार का नाम, लोगो (प्रतीक) चिह्न और पता और इसका दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या, वेबसाइट पता और ई-मेल पता;
- (छ) इश्यू अनुसूची-
- (i) इश्यू जारी करने की तारीख;
- (ii) इश्यू बंद करने की तारीख;
- (iii) इश्यू के यथाशीघ्र बंद होने की तारीख, यदि कोई हो।
- (ज) क्रेडिट रेटिंग, यदि प्रयोज्य हो;
- (झ) प्रारंभिक लोक प्रास्थापना के लिए प्राप्त सभी ग्रेड;
- (ञ) उन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के नाम, जहां प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया जाना प्रस्तावित है;
- (ट) पात्र निवेशकों का ब्यौरा;
- (ठ) ऋण प्रतिभूतियों के मामले में – कूपन दर, कूपन भुगतान आवृत्ति, मोचन की तारीख, मोचन राशि और डिबेंचर न्यासी की ब्यौरा।

6. वह अवधि जिसके दौरान कतिपय मामलों में सूचना प्रदान की जानी है – नियम 3 से नियम 5 में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में, जिसके लिए किसी कंपनी को पूर्ववर्ती पांच वित्तीय वर्षों से संबंधित कतिपय विवरण या सूचना प्रदान करना अपेक्षित है, यह उस कंपनी के लिए पर्याप्त अनुपालन होगा जिसने पांच वर्ष की अवधि पूरी नहीं की है, यदि ऐसी कंपनी अपने निगमन के समय से सभी पूर्ववर्ती वर्षों के लिए ऐसा विवरण या सूचना प्रदान करती है।

7. विवरण में निर्दिष्ट संविदा की शर्तों में परिवर्तन या उद्देश्यों जिनके लिए प्रास्पेक्टस जारी किया गया था –

(1) जहां कंपनी ने प्रास्पेक्टस के माध्यम से जनता से कोई धन राशि एकत्र की है या इस तरह एकत्र की गई धनराशि में से कोई राशि अप्रयुक्त है, यह प्रास्पेक्टस में संविदाओं की शर्तों या उद्देश्यों जिनके लिए प्रास्पेक्टस जारी किया गया था, में कोई परिवर्तन नहीं करेगा सिवाय तब जब कि डाक मत पत्र द्वारा विशेष संकल्प पारित किया जाए और उस प्रस्तावित विशेष संकल्प की नोटिस में निम्नलिखित विवरण सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

- (क) इश्यू का मूल प्रयोजन या उद्देश्य;
- (ख) कुल एकत्र की गई धनराशि;
- (ग) प्रास्पेक्टस में निर्दिष्ट कंपनी के उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त धनराशि;
- (घ) प्रस्तावित उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा (अर्थात् पचास प्रतिशत, साठ प्रतिशत, आदि है);
- (ङ) प्रास्पेक्टस के माध्यम से इस तरह एकत्र की गई धनराशि में से अप्रयुक्त राशि;

- (च) प्रास्पेक्टस में निर्दिष्ट संविदाओं या उन उद्देश्यों जिनके लिए प्रास्पेक्टस जारी किया गया था, के संदर्भ में प्रस्तावित परिवर्तन का ब्यौरा;
- (छ) परिवर्तन की मांग करने के कारण और न्यायोचित;
- (ज) प्रस्तावित समय-सीमा जिसके भीतर प्रस्तावित परिवर्तित उद्देश्य की प्राप्ति की जाएगी;
- (झ) नियम 3 के उप-नियम (7) में यथा निर्दिष्ट खंड-वार ब्यौरा, जो इश्यू के मूल रूप से प्रस्तावित उद्देश्यों के संबंध में अपेक्षित था;
- (ञ) नए उद्देश्यों से संबंधित जोखिम कारक; और
- (ट) अन्य संगत सूचना, जो प्रस्तावित संकल्प के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए आवश्यक हो।

(2) प्रास्पेक्टस में निर्दिष्ट किसी संविदा की शर्तों को परिवर्तित करने या उन उद्देश्यों, जिनके लिए प्रास्पेक्टस जारी किया गया था, में परिवर्तन करने के लिए संकल्प पारित कराने के लिए नोटिस का विज्ञापन पीएएस-1 प्ररूप में किया जाएगा और ऐसे विज्ञापन का प्रकाशन शेयरधारकों को डाक मत पत्र नोटिस प्रेषित किए जाने के साथ ही किया जाएगा।

(3) नोटिस, यदि कोई हो, उसे कंपनी की वेबसाइट पर रखा जाएगा।

8. सदस्यों द्वारा विक्रय का प्रस्ताव – अध्याय-2 अर्थात् शीर्षक “प्रास्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन” के भाग-1 के उपबंध और इसके अधीन बनाए गए नियम धारा 28 में निर्दिष्ट विक्रय के प्रस्ताव के लिए प्रयोज्य होंगे, सिवाय निम्नलिखित के मामले में, अर्थात्:-

- (क) न्यूनतम अंशदान के संबंध में उपबंध;
- (ख) न्यूनतम आवेदन मूल्य के लिए उपबंध;
- (ग) उपबंध जिनमें धनराशि के उपयोग के संबंध में निदेशक मंडल द्वारा विवरण दिया जाना अपेक्षित हो; और
- (घ) प्रस्तावकर्ता द्वारा संग्रहित या एकत्रित नहीं किए जा सकने वाले कोई अन्य उपबंध या सूचना, ऐसे उपबंधों का अनुपालन करने के लिए सक्षम नहीं होने के बारे में विस्तृत न्यायोचितियों के साथ।

(2) धारा 28 के अधीन जारी प्रास्पेक्टस में विक्रय प्रस्ताव करने की लागत का वहन करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों या निकाय के नाम का उल्लेख कारण सहित किया जाएगा।

9. प्रतिभूतियों का अभौतिकीकरण – किन्हीं संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का लोक प्रस्थापना जारी करते समय प्रत्येक लोक कंपनी के प्रवर्तक ऐसी प्रतिभूतियों को धारण केवल अभौतिकस्वरूप में कर सकते हैं:

परंतु यह कि प्रवर्तकों द्वारा आरंभिक लोक प्रस्थापना की तारीख तक भौतिक स्वरूप में धारित कंपनी की परिवर्तनीय प्रतिभूतियों की संपूर्ण धारिता ऐसी प्रस्थापना किए जाने से पहले अभौतिक स्वरूप में बदल जाएगी और तदनुपरांत, ऐसे प्रवर्तक की शेयरधारिता केवल अभौतिक स्वरूप में ही धारित की जाएगी।

10. शेल्फ प्रास्पेक्टस और सूचना ज्ञापन – सूचना ज्ञापन पीएएस-2 प्ररूप में तैयार किया जाएगा और शेल्फ प्रास्पेक्टस के अधीन प्रतिभूतियों के दूसरे या उत्तरवर्ती प्रस्थापना के जारी करने से पहले एक महीने के भीतर कंपनी

(रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा उपबंधित फीस के साथ इस रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

11. आवेदन राशि की वापसी – (1) यदि निर्दिष्ट न्यूनतम राशि का अंशदान नहीं किया गया है और आवेदन पर देय राशि विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होती है, तो इश्यू के समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर आवेदन राशि वापस कर दी जाएगी और यदि ऐसी किसी राशि की वापसी उक्त इस अवधि के दौरान नहीं की जाती है तो कंपनी के निदेशक, जो चूककर्ता अधिकारी हैं, उस राशि को प्रति वर्ष पंद्रह प्रतिशत की दर से ब्याज सहित वापस करने के लिए संयुक्त रूप से और पृथक्तः रूप से उत्तरदायी होंगे।

(2) वापस की जाने वाली आवेदन राशि को केवल उस बैंक खाते में जमा किया जाएगा जिससे अंशदान दिया गया था।

12. आबंटन वापस करना – (1) जब कभी भी शेयर पूंजी वाली कोई कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का कोई आबंटन करेगी, तो कंपनी इसके पश्चात् तीस दिन के भीतर आबंटन की वापसी के लिए रजिस्ट्रार के पास अनुरोध **पीएस-3** प्ररूप में और कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट फीस सहित करेगी।

(2) **पीएस-3** प्ररूप में आबंटन प्राप्तकर्ताओं की एक सूची संलग्न की जाएगी जिसमें उनका नाम, पता, उपजीविका, यदि कोई हो और प्रत्येक आबंटन प्राप्तकर्ता को आबंटित प्रतिभूतियों की संख्या का उल्लेख किया जाएगा और इस सूची को कंपनी के अभिलेखों के अनुसार बतौर पूर्ण और सत्य **पीएस-3** प्ररूप के हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

(3) नकद के अलावा प्रतिफल के लिए पूर्णतः या अंशतः समादत्त रूप से आबंटित, प्रतिभूतियों (बोनस शेयर नहीं होने पर) के मामले में, **पीएस-3** प्ररूप में संविदा की एक प्रति, सम्यक् स्टांपयुक्त संलग्न होगी, जिसके अनुसार विक्रय की किसी संविदा के साथ प्रतिभूतियां आबंटित की गई हैं, यदि सेवा या अन्य प्रतिफल के लिए संपत्ति या आस्ति या संविदा से संबद्ध हो।

(4) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट किसी संविदा को लेखबद्ध नहीं किया जाता है, तो कंपनी **पीएस-3** प्ररूप के साथ संविदा का पूर्ण ब्यौरा प्रस्तुत करेगी, जो उसी स्टांप फीस जो संविदा के लिपिबद्ध किए जाने की स्थिति में देय होता, की राशि के मूल्य के स्टांप से युक्त होगा और ये विवरण भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अर्थ में लिखित माने जाएंगे और रजिस्ट्रार, विवरणों को प्रस्तुत करने की एक शर्त के रूप में, यह अपेक्षित कर सकता है कि उस पर लगाया जाने वाला स्टांप फीस का न्यायनिर्णयन भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 की धारा 31 के अधीन किया जाए।

(5) प्रतिफल के मूल्यांकन के संबंध में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट को भी उप-नियम (3) और उप-नियम (4) में यथा निर्दिष्ट संविदा के साथ संलग्न किया जाएगा।

(6) बोनस शेयरों को जारी करने की स्थिति में, साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प, जिसमें ऐसे शेयरों को जारी करने को प्राधिकृत किया गया हो, की एक प्रति **पीएस-3** प्ररूप के साथ संलग्न की जाएगी।

(7) यदि सूचीबद्ध कंपनी से भिन्न किसी कंपनी द्वारा धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ग) के अनुसरण में शेयर जारी कि गए हैं, जिनका साधारण शेयर या संपरिवर्तनीय अधिमान शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हों, **पीएस-3** प्ररूप में रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकनकर्ता की मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।

स्पष्टीकरण: अधिनियम की धारा 247 की उप-धारा (1) की लंबित रहते अधिसूचना और मूल्यांकनकर्ताओं की अर्हताओं और अनुभव को अंतिम रूप दिए जाने तक स्टॉको, शेयरों, डिवेंचरों, प्रतिभूतियों आदि का मूल्यांकन किसी

ऐसे स्वतंत्र मर्चेन्ट बैंकर द्वारा किया जाएगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत है या न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी स्वतंत्र व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा किया जाएगा।

13. कमीशन का भुगतान – कंपनी अपनी प्रतिभूतियों के अंशदान या अंशदान के अर्जन के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कमीशन का भुगतान, चाहे पूर्ण रूप से या सशर्त, निम्नलिखित शर्तों पर कर सकेगी, अर्थात्:-

- (क) ऐसे कमीशन के भुगतान को कंपनी के संगम ज्ञापन में प्राधिकृत किया जाएगा;
- (ख) कमीशन का भुगतान इश्यू के आगम या कंपनी के लाभ या दोनों से किया जाएगा;
- (ग) संदत्त या प्रदान किए जाने के लिए सहमत कमीशन की दर शेयरों के मामले में शेयरों को जारी करने की कीमत के अधिकतम पांच प्रतिशत या संगम ज्ञापन द्वारा प्राधिकृत दर, जो भी कम हो, और ऋण-पत्र के मामले में, ऋण-पत्र जारी किए जाने की कीमत के अधिकतम ढाई प्रतिशत, या कंपनी के संगम ज्ञापन में यथा विनिर्दिष्ट दर, जो भी कम हो, होगी;

(घ) कंपनी के प्रास्पेक्टस में निम्नलिखित का प्रकटन किया जाएगा, अर्थात्:-

- (i) हामीदार का नाम;
- (ii) हामीदार को देय कमीशन की दर और राशि; और
- (iii) प्रतिभूतियों की संख्या, जिनकी हामादारी या अंशदान हामीदार द्वारा पूर्णतः या सशर्त किया जाना है।

(ङ) उन प्रतिभूतियों पर किसी हामीदार के लिए कोई संदत्त कमीशन नहीं होगा, जिनकी जनता के अंशदान के लिए प्रस्थापना नहीं कि गई;

(च) रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रोस्पेक्टस फाइल करने के समय रजिस्ट्रार को कमीशन के भुगतान के लिए संविदा की प्रति परिदत्त की जाएगी।

14. निजी स्थानन – (1) (क) धारा 42 की उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, कंपनी पीएस-4 प्ररूप में निजी स्थानन प्रस्थापना पत्र को जारी करते हुए प्रतिभूतियों के लिए अंशदान करने के लिए प्रस्थापना या आमंत्रण कर सकती है।

(ख) निजी स्थानन प्रस्थापना पत्र के साथ एक आवेदन प्ररूप संलग्न होगा जो क्रमिक रूप से संख्यांकित और विनिर्दिष्ट रूप से उस व्यक्ति को संबोधित होगा जिसे प्रस्थापना की है और उसे लिखित या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में धारा 42 की उप-धारा (7) के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के नाम रिकॉर्ड करने के तीस दिनों के भीतर भेजा जाएगा।

परंतु कि आवेदन प्ररूप में निर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे आवेदन प्ररूप के माध्यम से आवेदन की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस शर्त को पूरा नहीं करने वाले सी भी आवेदन को अवैध माना जाएगा।

(2) कंपनी अपनी प्रतिभूतियों का निजी स्थानन नहीं करेगी यदि-

(क) प्रतिभूतियों के लिए प्रस्तावित प्रस्थापना या प्रतिभूतियों के लिए अंशदान करने के लिए आमंत्रण को कंपनी के शेयरधारकों द्वारा प्रत्येक प्रस्थापना या आमंत्रण के लिए विशेष संकल्प द्वारा पूर्व में अनुमोदन किया गया हो:

परंतु यह कि साधारण अधिवेशन के लिए नोटिस में संलग्न स्पष्टीकारक कथन में प्रस्थापना या आमंत्रण किए जाने के लिए निर्धारित कीमत (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) के लिए आधार या न्यायोचित का प्रकटन किया जाएगा:

परंतु यह कि गैर-संपरिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए प्रस्थापना या आमंत्रण के मामले में, यह पर्याप्त होगा यदि कंपनी वर्ष के दौरान ऐसे डिबेंचरों के लिए सभी प्रस्थापनाओं या आमंत्रण के लिए एक वर्ष में केवल एक बार पूर्व विशेष संकल्प पारित करती है।

(ख) ऐसी प्रस्थापना या आमंत्रण किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर दो सौ से अधिक व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा:

परंतु यह कि धारा 62 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार कर्मचारी स्टॉक विकल्प की योजना के अधीन अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं या कंपनी के कर्मचारियों को दिया गया कोई प्रस्थापना या आमंत्रण पर दो सौ व्यक्तियों की सीमा की गणना करने में विचार नहीं किया जाएगा;

स्पष्टीकरण – इस उप नियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि

(i) उप-खंडों (ख) के अधीन निर्बंधनों को प्रत्येक स्वरूप की प्रतिभूति अर्थात् इक्विटी शेयर, अधिमान शेयर या ऋण-पत्र के लिए पृथक रूप से ध्यान में रखा जाएगा।

(ii) धारा 42 की उप-धारा (3) के उपबंधों को प्रत्येक स्वरूप की प्रतिभूति की प्रस्थापना या आमंत्रण के संबंध में लागू किया जाएगा और किसी अन्य स्वरूप की प्रतिभूति की प्रस्थापना या आमंत्रण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि किसी अन्य प्रकार की प्रतिभूति के मामले में पूर्व में दी गई प्रस्थापना या आमंत्रण के बारे में आबंटन पूरे नहीं हो जाएं।

(ग) प्रति व्यक्ति ऐसे प्रस्थापना या आमंत्रण का मूल्य प्रतिभूतियों के न्यूनतम बीस हजार रुपए अंकित मूल्य के विनिधान आकार के साथ होगा;

(घ) प्रतिभूतियों के अंशदान के लिए भुगतान ऐसी प्रतिभूतियों के लिए अंशदान करने वाले व्यक्ति के बैंक खाते से किया जाएगा और कंपनी उस बैंक खाते का रिकॉर्ड रखेगी जहां से अंशदान के मद में ऐसे भुगतान प्राप्त होते हैं:

परंतु यह कि संयुक्त धारकों द्वारा धारित प्रतिभूतियों के लिए अंशदान पर देय धनराशि का भुगतान उस व्यक्ति के बैंक खाते से किया जाएगा जिसका नाम आवेदन प्ररूप में पहले लिखा गया हो।

(3) कंपनी पीएस-5 प्ररूप में निजी स्थानन प्रस्थापनाओं का पूर्ण रिकॉर्ड रखेगी:

परंतु यह कि पीएएस-4 प्ररूप में निजी स्थानन प्रस्थापना पत्र सहित ऐसे रिकॉर्ड की एक प्रति कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय एवं फीस) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी और कंपनी के प्रतिभूति और विनियम बोर्ड में निजी स्थानन प्रस्थापना पत्र के परिचालित होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर सूचीबद्ध होने संबंधी विवरण संलग्न किया जाएगा।

स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजन के लिए, निजी स्थानन प्रस्थापना की तारीख निजी स्थानन प्रस्थापना पत्र के परिचालित होने की तारीख मानी जाएगी।

(4) धारा 42 के अधीन प्रतिभूतियों के आबंटन की वापसी को रजिस्ट्रार के पास पीएएस-3 प्ररूप में आबंटन के तीस दिनों के भीतर कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय एवं फीस) नियम, 2014 में यथा विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके साथ सभी प्रतिभूति धारकों की पूरी सूची निम्नलिखित विवरण के साथ अंतर्विष्ट होगी-

- (i) ऐसे प्रतिभूतिधारक का पूरा नाम, पता, स्थायी खाता संख्या और ई-मेल आईडी;
- (ii) धारित प्रतिभूति की श्रेणी;
- (iii) प्रतिभूति आबंटन की तारीख;
- (iv) धारित प्रतिभूति की संख्या, अंकित मूल्य और ऐसी प्रतिभूतियों के लिए भुगतान की गई राशि; और नकद के इतर प्रतिफल के लिए प्रतिभूतियों को जारी किए जाने की स्थिति में प्राप्त प्रतिफलों का विवरण।

(5) उप-नियम (2) के खंड (ख) और (ग) के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे-

- (क) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक में रजिस्ट्रीकृत गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां; और
- (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के अधीन राष्ट्रीय आवास बैंक में रजिस्ट्रीकृत आवास वित्त कंपनियां,

यदि वे निजी स्थानन आधार पर जारी की जाने वाली प्रस्थापना या आमंत्रण के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा बनाए गए विनियमों का अनुपालन कर रही हैं:

परंतु कि ऐसी कंपनियां, भारतीय रिजर्व बैंक या राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा ऐसे समरूप विनियम विनिर्दिष्ट नहीं किए जाने की स्थिति में, उप-नियम (2) के उप-खंड (ख) और (ग) का अनुपालन करेंगे।

उपाबंध

प्ररूप पीएएस-1

[कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 की

धारा 27(1) और नियम 7(2) के अनुसरण में]

प्रोस्पेक्टस में निर्दिष्ट किसी संविदा के निबंधनों में बदलाव करने या उन उद्देश्यों के लिए जिनके लिए प्रोस्पेक्टस जारी किया गया था, में परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प की सार्वजनिक सूचना वाला

विज्ञापन

कारपोरेट पहचान सं.(सीआईएन)-

कंपनी का नाम

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

सार्वजनिक सूचना

यह सूचना दी जाती है कि तारीख..... के एक संकल्प संख्याद्वारा बोर्ड ने (प्रतिभूतियों के नाम और वर्णन) के जारी...../रूपए की जारी कीमत पर, कुल कीमत...../- रूपए प्रति (प्रतिभूति का वर्णन) के संबंध में जारी तारीख.....की प्रास्पेक्टस में निर्दिष्ट संविदा के निबंधनों में परिवर्तन करने (या उन उद्देश्यों में बदलाव करने, जिनके लिए प्रास्पेक्टस तारीख.....को जारी की गई थी) के लिए प्रस्ताव रखा है। उक्त संकल्प के अनुसरण में, आगे सूचना दी जाती है कि उक्त प्रतिपादना को अनुमोदित करने के लिए, डाक मत पत्र द्वारा एक विशेष संकल्प पारित किया जाना है।

ऐसे बदलाव/परिवर्तन से संबंधित ब्यौरा निम्नलिखित हैं:-

- 1) बदलाव किसी जाने वाले संविदा के निबंधनों की विशिष्टियां (या परिवर्तित किए जाने वाले उद्देश्यों के ब्यौरे)-
- 2) प्रस्तावित बदलाव/परिवर्तन का ब्यौरा-
- 3) बदलाव के लिए कारण/औचित्य निर्धारण-
- 4) कंपनी के वित्तीय प्रस्ताव के बारे में प्रस्तावित बदलाव/परिवर्तन के प्रभाव-
- 5) नए उद्देश्यों से संबंधित प्रमुख जोखिम कारक
- 6) प्रस्तावित बदलाव/परिवर्तन के विरुद्ध मतदान करने वाले निदेशकों के नाम कोई भी हितबद्ध व्यक्ति व्याख्यात्मक विवरण फीस प्रभार जमा करके इस विशेष संकल्प की प्रति कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में या इसके कंपनी सचिव श्री के.....अवस्थित कार्यालय से प्राप्त कर सकता है या इस प्रति के लिए कंपनी की वेबसाइट अर्थात्..... में देख सकता है।

हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

प्ररूप पीएएस.2**सूचना ज्ञापन**

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 31(2) तथा कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 42 और कंपनी (प्रोस्पेक्टस

**और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 के नियम
10 के अनुसरण में**



प्ररूप की भाषा ० अंग्रेजी ० हिंदी

प्ररूप फाइल करने के लिए अनुदेश से संबंधित अनुदेश फिट देखें।

1. *कंपनी से संबंधित विशिष्टियां

(क) *कारपोरेट का पहचान संख्या (सीआईएन)

पूर्व पूरित

(ख) वैश्विक अवस्थिति संख्या

(ग) कंपनी का नाम

(घ) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ङ) कंपनी का ई-मेल पता आईडी

2. *शेल्फ प्रोस्पेक्टस के ब्यौरे

(क) निर्देश के ब्यौरे

(ख) रजिस्ट्रार के पास फाइल करने की तारीख

(ग) जारी करने की तारीख

(घ) शेल्फ प्रोस्पेक्टस की विधिमान्य अवधि

3. *ऑफर की जा रही प्रतिभूतियों के ब्यौरे

विशिष्टियां	शेल्फ प्रोस्पेक्टस के अधीन ऑफर की गई प्रतिभूतियों की कुल संख्या	वर्तमान ऑफर के पूर्व आबंटित प्रतिभूतियों की संख्या	वर्तमान ऑफर के अधीन ऑफर की गई प्रतिभूतियों की संख्या
प्रतिभूति का प्रकार			
प्रति प्रतिभूति अंकित मूल्य (रुपए में)			
प्रति प्रतिभूति प्रीमियम (रुपए में)			
प्रति प्रतिभूति जारी कीमत			

4. प्रतिभूतियों के प्रथम ऑफर या पूर्ववर्ती ऑफर से कंपनी की आस्तियों/संपत्ति में पर सृजित प्रभारों की तारीख-वार ब्यौरे-

*सृजित प्रभारों की विशिष्टियां

1. सृजित प्रभारों का विवरण

(क) *प्रभार सृजन की तारीख

(ख) *उद्देश्य जिसके लिए प्रभार सृजित किया गया है

(ग) *राशि जिसके लिए प्रभार सृजित किया गया है

(घ) *प्रभार की अवधि (मास में)

(ङ) * आस्तियों/संपत्तियों के व्यौरे, जिस पर प्रभार सृजित किया गया है

(च) *प्रभार धारक का नाम

(छ) *प्रभार के संक्षिप्त निबंधन और शर्तें

5. *कंपनी की वित्तीय स्थिति में परिवर्तन - (आबंटन-पूर्व और आबंटन पश्चात्)

विशिष्टियां	पूर्व आबंटन	पश्च आबंटन
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिमान शेयर पूंजी		
आरक्षिती तथा अधिशेष ऋण		
सुरक्षित ऋण		
असुरक्षित ऋण कुल		
कुल		

6. शेयर पूंजी में परिवर्तन अर्थात् पूंजीकरण विवरण-
आरक्षितियों के पूंजीकरण की संख्या

विशिष्टियां	
आरक्षिती का नाम	
आरक्षिती का प्रकार	
आरक्षिती की पूंजीकृत राशि	
जारी शेयरों की संख्या	
जारी शेयरों का सममूल्य	

7. लेखाकरण नीति में परिवर्तन

8. पूर्ववर्ती ऑफर के संदर्भ में फाइल की गई सूचना ज्ञापन तथा शेल्फ विशिष्टियां में यथा उल्लिखित जोखिम कारकों में परिवर्तन

9. आर्थिक परिवर्तन जो जारी प्रचालनों से होने वाली आय पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं

10. कंपनी के कार्यकलापों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, जिसका एजेंसियों के लाभ सहित कंपनी के लाभ/हानि पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और समरूप कारक

11. *प्रत्येक प्रमुख उद्योग क्षेत्र के कुल टर्नओवर में परिवर्तन, जिसमें जारीकर्ता प्रचालन करती है

12. कोई भी महत्वपूर्ण कानूनी कार्यवाही जो कंपनी के द्वारा अथवा कंपनी या इसके निदेशकों के विरुद्ध आरंभ की गई हो, परिणाम निकलने पर कंपनी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था

13. कंपनी के विरुद्ध किसी व्यक्ति अथवा किसी प्राधिकरण द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण दावा

14. कंपनी के कारोबार परिवेश में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन, चाहे वह प्रौद्योगिकी, वित्तीय, बाजार संबद्ध, सरकारी नीति या कुछ अन्यथा हो, जिससे कंपनी के वर्तमान अथवा भावी कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े

15. कंपनी के प्रबंधन अथवा स्वामित्व में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन

16. कोई अन्य परिवर्तन जिससे किसी निवेशक के निवेश संबंधी विनिर्णय पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है

17. *परियोजनागत योजना, वित्तीय ब्यौरे, उद्देश्यों को पूरा करने की समयावधि तथा अन्य सुसंगत कारकों सहित वर्तमान ऑफर के संदर्भ में प्रस्तावित उद्देश्यों के ब्यौरे का सार

संलग्नक:

- वैकल्पिक संलग्नक (संलग्नकों), यदि कोई हो।

घोषणा

में*

कंपनी की तारीख*..... के संकल्प संख्या*..... द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने लिए प्राधिकृत हूं और यह घोषणा करता हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं तथा इस प्ररूप की विषय-वस्तु की बाबत बनाए गए नियमों तथा इसके अनुषंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप के संलग्नकों सहित इस प्ररूप में ऊपर दी गई सभी जानकारी, सही एवं पूर्ण है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

*पदनाम

डीएससी बॉक्स

*निदेशक अथवा प्रबंध निदेशक का निदेशक पहचान संख्या;

अथवा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीएफओ की डिन अथवा पैन;

अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

प्ररूप पीएस.3**आबंटन की वापसी****[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 39(4) एवं 42(9)**

**तथा कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 42 और
कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम,
2014 12 एवं 14 के अनुसरण में]**



सत्यमेव जयते

प्ररूप की भाषा अंग्रेजी o हिंदी o

प्ररूप फाइल करने लिए अनुदेश से संबंधित अनुदेश किट देखें।

- (क) *कंपनी का कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)
(ख) कंपनी की वैश्विक अवस्थिति संख्या (जीएलएन)

पूर्व प्रित

- (क) कंपनी का नाम
(ख) कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(ग) *कंपनी का ई-मेल आईडी

3. नकद में देय आबंटित प्रतिभूतियां

*आबंटनों की संख्या

I. (i) *आबंटन की तारीख

(ii)(क) शेयरधारकों के संकल्प पारित करने की तारीख

(ख) प्ररूप संख्या एमजीटी-14 का एसआरएन

विशिष्टियां	अधिमान शेयर <input type="checkbox"/>	विभेदक अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर <input type="checkbox"/>	विभेदक अधिकारों सहित इक्विटी शेयर <input type="checkbox"/>	डिवेंचर <input type="checkbox"/>
निबंधन और शर्तों का संक्षिप्त विशिष्टियां				
आबंटित प्रतिभूतियों की संख्या				
प्रति प्रतिभूति अंकित राशि (रुपए में)				
कुल अंकित राशि (रुपए में)				
आवेदन पर प्रति प्रतिभूति प्रदत्त राशि (प्रीमियम छोड़कर) (रुपए में)				
आवेदन पर प्रदत्त कुल राशि (प्रीमियम छोड़कर) (रुपए में)				
प्रति प्रतिभूति आबंटन पर प्राप्य एवं देय राशि (प्रीमियम छोड़कर) (रुपए में)				
आबंटन पर देय कुल राशि (प्रीमियम छोड़कर) (रुपए में)				
प्रति प्रतिभूति प्राप्य एवं देय प्रीमियम राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
कुल प्राप्य एवं देय प्रीमियम राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
प्रति प्रतिभूति प्रदत्त प्रीमियम राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
कुल प्रदत्त प्रीमियम राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
प्रति प्रतिभूति छूट की राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
कुल छूट राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
प्रति प्रतिभूति कॉल पर भुगतान की जाने वाली राशि (यदि कोई हो) (प्रीमियम को छोड़कर) (रुपए में)				
कॉल पर भुगतान की जाने वाली कुल राशि (यदि कोई हो) (प्रीमियम छोड़कर) (रुपए में)				

4. नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए आबंटित प्रतिभूतियां

*आबंटनों की संख्या

I. (i) *आबंटन की तारीख

(दिन/मास/वर्ष)

(ii)(क) शेयरधारकों के संकल्प पारित करने की तारीख

(ख) प्ररूप संख्या एमजीटी-14 का एसआरएन

विशिष्टियां	अधिमान शेयर <input type="checkbox"/>	विभेदी अधिकारों के बिना इक्विटी शेयर <input type="checkbox"/>	विभेदी अधिकारों सहित इक्विटी शेयर <input type="checkbox"/>	डिवेंचर <input type="checkbox"/>

आवंटित प्रतिभूतियों की संख्या				
प्रति प्रतिभूति अंकित राशि (रुपए में)				
कुल अंकित राशि (रुपए में)				
प्रत्येक प्रतिभूति पर प्रदत्त राशि के रूप में मानी जाने वाली राशि (रुपए में)				
प्रति प्रतिभूति प्रीमियम राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
कुल प्रीमियम राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
प्रति प्रतिभूति छूट की राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				
कुल छूट राशि (यदि कोई हो) (रुपए में)				

(iv) *प्रतिफल के व्यौरे

प्रतिफल जिसके लिए ऐसी प्रतिभूतियां आवंटित की गई हैं	प्रतिफल संबंधी विवरण	मूल्य (राशि रुपए में)
(क) अपेक्षित संपत्ति तथा आस्तियां		
(ख) सद्भावना		
(ग) सेवा (सेवा की प्रकृति बताएं)		
(घ) डिबेंचरों का रूपांतरण		
(ङ) ऋण का संपरिवर्तन		
(च) अन्य मदें (विनिर्दिष्ट की जाने वाली)		

(v) *क्या नकद से भिन्न प्रतिफल के लिए प्रतिभूतियां आवंटित करने हेतु लिखित में कोई करार या संविदा निष्पादित की गई है (यदि हां, तो उस करार अथवा संविदा की प्रति संलग्न करें)?

हां नहीं

(v) क्या मूल्यांकनकर्ता से कोई मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त की गई है,

हां नहीं

5. जारी बोनस शेयर

(क) आवंटन की तारीख

(ख) बोनस शेयरों की संख्या

(ग) प्रति शेयर अंकित राशि (रुपए में)

(घ) प्रति शेयर प्रदत्त राशि (मानी जाने वाली राशि रुपए में)

(ङ) *विशेष संकल्प पारित करने की तारीख

(च) *प्ररूप एमजीटी-14 का एसआरएन

6. निजी स्थानन की बाबत-

(क) वह श्रेणी जिसके लिए आवंटन किया जा रहा है: (बॉक्स की जांच करें)

(मूल्य: विद्यमान शेयरधारक, कर्मचारी, निदेशक, अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेता, अन्य)

(ख) इस बाबत घोषणा कि विभेदी आबंटन अथवा निजी स्थानन कंपनी के पास है: (बॉक्स की जांच करें)

छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़कर किसी वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर दो सौ से कम व्यक्तियों को आबंटित संगत प्रतिभूतियां;
 प्रति व्यक्ति बीस हजार से कम आकार वाले आवेदन के साथ नहीं आबंटित प्रतिभूतियां;
 निजी स्थानन ऑफर पत्र के माध्यम से ऑफर की गई ऐसी प्रतिभूतियां तथा इसके लिए कोई विशिष्टियां अथवा कोई अन्य सार्वजनिक विज्ञापन नहीं जारी किया गया है;
 पूर्व के निजी स्थानन ऑफरों के बावत पूर्ण आबंटन;
 चेक अथवा डिमांड ड्राफ्ट अथवा अन्य बैंकिंग चैनलों के माध्यम से, लेकिन नकद रूप में नहीं, ऐसी प्रतिभूतियों के अशदान पर देय प्राप्त धनराशि;
 केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऐसे ऑफर दिए गए जिनके नाम ऐसे आमंत्रण से पूर्व कंपनी द्वारा रिकॉर्ड किए गए थे तथा ऐसे व्यक्तियों को नाम से ऐसे ऑफर प्राप्त हुए हैं;
 ऐसे ऑफरों तथा स्वीकृतियों का प्ररूप संख्या पीएएस-5 में पूर्ण रिकॉर्ड रखा गया है।

7. *शेयरों के उपर्युक्त आबंटन (आबंटनों) को ध्यान में रखने के पश्चात् कंपनी की पूंजीगत संरचना:

विशिष्टियां	प्राधिकृत पूंजी	जारी पूंजी	अभिदत्त पूंजी	प्रदत्त पूंजी
इक्विटी शेयरों की संख्या				
प्रति इक्विटी शेयर अंकित राशि				
इक्विटी शेयरों की कुल राशि				
अधिमान शेयरों की संख्या				
प्रति अधिमान शेयर अंकित मूल्य				
अधिमान शेयरों की कुल राशि				
अवर्गीकृत शेयरों की कुल संख्या				
अवर्गीकृत शेयरों की कुल राशि				
कुल				

8. *ऋण-पत्रों/अन्य प्रतिभूतियों के उपर्युक्त आबंटन (आबंटनों) के मद्देनजर रखने के पश्चात् कंपनी के ऋण की संरचना:

विशिष्टियां	प्रतिभूतियों की कुल संख्या	प्रतिभूति की प्रति यूनिट अंकित मूल्य	कुल राशि
डिबेंचर			
सुरक्षित ऋण			
अन्य, विनिर्दिष्ट करें			

9. *क्या आबंटन प्राप्तकर्ताओं की पूरी सूची संलग्नक के रूप में संलग्न की गई है। हां नहीं
 यदि नहीं, तो एक सीडी में पृथक रूप से व्यौरे प्रस्तुत करें।

संलग्नक:

1. *आबंटन प्राप्तकर्ताओं की सूची/प्रत्येक आबंटन के लिए पृथक सूची संलग्न करें (प्रारूप के लिए अनुदेश पुस्तिका देखें)। यदि संलग्न नहीं की गई हो, तो इसे पृथक रूप से एक सीडी में प्रस्तुत करें।

2. *बोर्ड अथवा शेयरधारकों के संकल्प की प्रति।
3. मूल्यांकनकर्ता से भिन्न मूल्यांकन रिपोर्ट, यदि कोई हो;
4. नकद से भिन्न प्रतिफल हेतु शेयर आबंटित कर दिए जाने की स्थिति में संविदा की प्रति अथवा संलग्न जिसमें कंपनी द्वारा लिखित में संविदा के ब्यौरे, यदि कोई हो, दिया गया हो;
5. बोनस शेयरों को जारी करने को प्राधिकृत करने वाले विशेष संकल्प की प्रति;
6. प्ररूप पीएएस-5 में निजी स्थानन ऑफरों तथा स्वीकृतियों का पूर्ण रिकॉर्ड।
7. वैकल्पिक संलग्नक, यदि कोई हो।

घोषणा

मैं, कंपनी की तारीख*..... के संकल्प संख्या*..... द्वारा कंपनी के निदेशक मंडल बोर्ड इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने लिए प्राधिकृत हूँ और यह घोषणा करता हूँ कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी अपेक्षाओं तथा इस प्ररूप की विषय-वस्तु की बावत अधीन बनाए गए नियमों तथा इसके अनुपंगिक मामलों का अनुपालन किया गया है। इस प्ररूप तथा इसके संलग्नों में जो कुछ भी उल्लिखित है वह सत्य, सही तथा पूर्ण है तथा इस प्ररूप की विषय-वस्तु के बारे में कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपाई नहीं गई है अथवा गुप्त नहीं रखी गई है तथा यह संगम जापान और अनुच्छेद जापान को समर्थन करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखी गई मूल अभिलेखों के अनुसार है।

और यह भी घोषित एवं सत्यापित किया जाता है कि:

1. सभी अपेक्षित संलग्न इस प्ररूप के साथ पूर्ण रूप से, सही रूप से तथा स्पष्ट रूप से संलग्न कर दिए गए हैं।
2. आबंटन प्राप्तकर्ताओं की सूची कंपनी के अभिलेखों के अनुसार सही एवं पूर्ण है।
3. प्रतिभूतियों को नकद से भिन्न किसी अन्य स्वरूप में जारी किए जाने की स्थिति में, संविदा जैसे कि आबंटन प्राप्तकर्ताओं की सूची तथा विक्री की कोई अन्य संविदा अथवा सेवा के लिए संविदा अथवा अन्य प्रतिफल जिसके संबंध में यह आबंटन किया गया है, को इसके साथ संलग्न किया जाता है। यदि नहीं, कंपनी के द्वारा लिखित में एक ऐसा संलग्नक संलग्न किया गया होगा जिसमें संविदा का पूर्ण विशिष्टियां लिखित में दिया गया है।

निम्नलिखित के द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर किया जाए

*पदनाम (ड्राप डाउन निदेशक अथवा प्रबंधक

डीएससी बॉक्स

निदेशक अथवा प्रबंधक अथवा कंपनी सचिव अथवा

सीईओ अथवा सीएफओ)

*निदेशक अथवा प्रबंधक निदेशक की निदेशक पहचान संख्या;

अथवा प्रबंधक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सीएफओ की डिन अथवा पैन;

अथवा कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

प्ररूप संख्या पीएएस-4

निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र

[कंपनी अधिनियम, 2014 की धारा 42 और कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम,

2014 के नियम 14(1) के अनुसरण में]

निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र में निम्नलिखित अंतर्विष्ट हैं:-

1. सामान्य सूचना जानकारी

- क. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और कारपोरेट कार्यालय दोनों को दर्शाते हुए कंपनी का नाम, पता, वेबसाइट और अन्य संपर्क ब्यौरे;
- ख. कंपनी के निगमन की तारीख;
- ग. कंपनी और इसकी समनुषंगी कंपनियों द्वारा संचालित कारोबार की शाखाओं या इकाइयों के ब्यौरे, यदि कोई हो;
- घ. कंपनी के प्रबंधन का संक्षिप्त विशिष्टियां;
- ङ. निदेशकों के नाम, पता, डिन और उपजीविका;
- च. जोखिम कारकों के बारे में प्रबंधन का अवबोधन;
- छ. निम्नलिखित के भुगतान में चूक के ब्यौरे, यदि कोई हो, इसमें अंतर्निहित राशि, चूक की अवधि और वर्तमान अवधि-
- i) देयताएं;
- ii) उन पर डिबेंचर और ब्याज;
- iii) उन पर जमा और ब्याज;
- iv) किसी बैंक या वित्तीय संस्था से ऋण और उन पर ब्याज ।
- ज. निजी स्थानन प्रस्ताव प्रक्रिया के लिए कंपनी के नोडल/अनुपालन अधिकारी, यदि कोई हो, का नाम, पदनाम, पता, दूरभाष संख्या और ई-मेल पता।

2. प्रस्ताव की विशिष्टियां

- क. बोर्ड संकल्प पारित करने की तारीख;
- ख. आम सभा में संकल्प पारित करने की तारीख, जिसमें प्रतिभूतियों के प्रस्ताव को प्राधिकृत किया गया;
- ग. प्रस्ताव की गई प्रतिभूतियों के प्रकार (अर्थात् क्या शेयर या डिबेंचर है) और प्रतिभूति की श्रेणी;
- घ. प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित प्रतिभूति प्रस्ताव किए जाने की कीमत, कीमत के औचित्य

निर्धारण सहित;

- ड. प्रस्ताव की गई प्रतिभूति का मूल्यांकन करने वाले मूल्यांकनकर्ता का नाम एवं पता;
- च. वह राशि जो कंपनी प्रतिभूतियों के माध्यम से एकत्र करती है;
- छ. प्रतिभूतियां एकत्र करने के निबंधन अवधि, यदि लागू हो, लाभांश की दर या ब्याज की दर, भुगतान और पुनर्भुगतान का तरीका;
- ज. प्रस्तावित निश्चित समय पर जिसके लिए ऑफर पत्र विधिमान्य है।
- झ. ऑफर के प्रयोजन और उद्देश्य;
- ञ. प्रवर्तकों या निदेशकों द्वारा ऑफर के भाग के रूप में या पृथक रूप से इन उद्देश्यों के बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा अंशदान;
- ट. प्रतिभूति के रूप में भारित आस्तियों के प्रधान निबंधन, यदि लागू हो।

3. निदेशकों की अभिरूचि, मुकदमा इत्यादि के संबंध में प्रकटन

- i. प्रस्ताव में निदेशकों, प्रवर्तकों या प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की किसी प्रकार की वित्तीय या अन्य महत्वपूर्ण अभिरूचि और ऐसी अभिरूचि के प्रभाव, चूंकि यह अन्य व्यक्तियों की अभिरूचि से भिन्न है।
- ii. प्रस्ताव पत्र के जारी होने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन विगत वर्षों के दौरान प्रस्ताव प्राप्तकर्ता कंपनी के किसी प्रवर्तक के विरुद्ध किसी मंत्रालय या सरकार के विभाग या कानूनी प्राधिकरण द्वारा की गई या लंबित किसी कानूनी कार्रवाई या मुकदमे और ऐसे मुकदमे या कानूनी कार्रवाई के निष्कर्ष के परिणामस्वरूप ऐसे मंत्रालय या विभाग या कानूनी प्राधिकरण द्वारा जारी किसी निर्देश के ब्यौरा का प्रकटन किया जाएगा।
- iii. निदेशकों का पारिश्रमिक (चालू वर्ष और विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान):
- iv. प्रस्ताव पत्र परिचालित करने के ठीक पूर्ववर्ती विगत तीन वित्तीय वर्ष के दौरान पक्षकार संबद्ध संब्यवहार और दिए गए ऋण या दी गई गारंटी या संदत्त प्रतिभूतियों के संबंध में किया गया करार।
- v. प्रस्ताव पत्र परिचालित करने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती विगत पांच वित्तीय वर्षों में लेखापरीक्षकों की आपत्तियों या शर्तों या प्रतिकूल टिप्पणियों और कंपनी के वित्तीय विवरणों एवं वित्तीय स्थिति पर इसके पड़ने वाला प्रभाव और उपर्युक्त प्रत्येक आपत्ति या शर्त या प्रतिकूल टिप्पणी के लिए कंपनी द्वारा किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय का सार।
- vi. प्रस्ताव पत्र के परिचालित होने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती विगत तीन वर्षों में कंपनी अधिनियम या

किसी पूर्ववर्ती कंपनी विधि के अधीन कंपनी और इसकी सभी समनुषंगी कंपनियों के विरुद्ध प्रवर्तित या संचालित किन्हीं जांचों, निरीक्षणों या अन्वेषणों का ब्यौरा साथ ही, क्या प्रस्ताव पत्र जारी करने के वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती विगत तीन वर्षों में कोई अभियोजन दायर किया गया (चाहे लंबित हो या नहीं, अर्थदंड लगाया गया, अपराधों का दुरभिसंधान किया गया और यदि ऐसा है, तो कंपनी और इसकी समनुषंगी कंपनियों के बारे में धारा-वार ब्यौरे प्रस्तुत करें।

vii. विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के विरुद्ध की गई गंभीर धोखाधड़ी के कृत्यों, यदि कोई हो, के ब्यौरे और इस संबंध में कंपनी द्वारा की गई कार्रवाई।

4. कंपनी की वित्तीय स्थिति

(क) कंपनी की पूंजीगत ढांचा निम्नलिखित तरीके से सारणीबद्ध रूप में-

(i)(क) प्राधिकृत, जारी, अभिदत्त और संदत्त पूंजी (प्रतिभूतियों के नाम, विवरण और कुल अंकित मूल्य);

(ख) वर्तमान ऑफर का आकार

(ग) संदत्त पूंजी

(क) ऑफर के पश्चात्

(ख) संपरिवर्तनीय लिखतों के संपरिवर्तन के पश्चात् (यदि लागू हो)

(घ) शेयर प्रीमियम खाता (ऑफर के पूर्व और पश्चात्)

(iii) जारीकर्ता कंपनी की विद्यमान शेयर पूंजी का सारणीबद्ध रूप में ब्यौरा, जिसमें प्रत्येक आबंटन, आबंटन की तारीख, आबंटित शेयर, आबंटित शेयरों का अंकित मूल्य, प्रतिफल की कीमत और उसके स्वरूप के बारे में उल्लेख किया गया हो।

परंतु यह कि जारीकर्ता कंपनी प्रस्ताव पत्र की तारीख से ठीक पूर्व विगत एक वर्ष में किए गए प्रत्येक आबंटन में पृथक रूप से संख्या और कीमत का प्रकटन करेगी, जिसमें नकद के इतर प्रतिफलों के लिए किए आबंटनों और प्रत्येक मामले में प्रतिफल संबंधी ब्यौरा इंगित किया गया होगा;

(ख) प्रस्ताव पत्र के परिचालित होने की तारीख से ठीक पूर्व तीन वित्तीय वर्ष के दौरान, कर के लिए प्रावधान बनाने से पूर्व एवं इसके पश्चात्, कंपनी का लाभ;

(ग) उक्त तीन वित्तीय वर्षों के संदर्भ में कंपनी द्वारा घोषित लाभांश; विगत तीन वर्षों के लिए ब्याज

कवरेज अनुपात (संदत्त ब्याज/कर सहित संदत्त ब्याज के पश्चात् नकद लाभ)

(घ) कंपनी की वित्तीय स्थिति का सार जैसा कि प्रस्ताव पत्र के जारी होने की तारीख के ठीक पूर्व तीन लेखापरीक्षित तुलन-पत्रों में दिया गया है;

(ङ) प्रस्ताव पत्र परिचालित होने की तारीख से ठीक पूर्व के तीन वर्षों के दौरान लेखापरीक्षित नकद प्रवाह विवरण;

(च) विगत तीन वर्षों के दौरान लेखाकरण नीतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन और कंपनी के लाभ एवं आरक्षितियों पर इसका प्रभाव।

5. निदेशकों द्वारा इस बाबत घोषणा कि-

क. कंपनी ने इस अधिनियम के सभी उपबंधों एवं इसके अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन किया है;

ख. इस अधिनियम और नियमों के अनुपालन का आशय यह नहीं है कि लाभांश या ब्याज का भुगतान या डिबेंचरों की पुनः अदायगी, यदि लागू हो, की गारंटी केंद्रीय सरकार द्वारा दी जाती है;

ग. इस प्रस्ताव के अधीन प्राप्त राशि का उपयोग प्रस्ताव पत्र में निर्दिष्ट उद्देश्यों एवं प्रयोजनों के लिए ही किया जाएगा;

मैं, कंपनी के दिनांक..... के.....संकल्प संख्या के अधीन इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किया गया हूं और यह घोषणा करता हूं कि इस प्ररूप की विषय-वस्तु और इसके अनुषंगिक मामलों के संदर्भ में कंपनी अधिनियम, 2013 और इसके अधीन बनाए गए सभी नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है। इस प्ररूप और इसके साथ लगाए गए संलग्नकों में कथित सभी तथ्य सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय-वस्तु से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना न तो छिपाई गई है या न ही गुप्त रखी गई है और यह संगम ज्ञापन या अनुच्छेद ज्ञापन का समर्थन करने वाले प्रवर्तकों द्वारा रखी गई मूल अभिलेख के अनुरूप ही है।

इस बात की भी घोषणा और सत्यापन किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नकों को पूर्ण, सही और स्पष्ट रूप से इस प्ररूप में संलग्न कर दिया गया है।

हस्ताक्षर

दिनांक:

स्थान:

संग्रहक:-

बोर्ड संकल्प की प्रति

शेयरधारकों के संकल्प की प्रति

.....की प्रति

वैकल्पिक संग्रहक, यदि कोई हो

प्ररूप पीएस-5

(कंपनी (प्रोस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 की धारा 42(7) और नियम 14(3)

कंपनी द्वारा रखा जाने वाला निजी स्थानन प्रस्ताव का अभिलेख

कंपनी का नाम:

कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय:

निगमित पहचान संख्या (सीआईएन):

निजी स्थानन प्रस्ताव का ब्यौरा:

वर्तमान निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र के लिए सुसंगत प्राधिकरण (शेयरधारकों का बोर्ड, जैसा भी मामला हो) का अनुमोदन प्राप्त होने की तारीख

प्रस्ताव की राशि:

निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र के परिचालन की तारीख:

जिन व्यक्तियों को निजी स्थानन प्रस्ताव पत्र परिचालित किया गया है उनके निम्नलिखित ब्यौरा (सारणी के रूप में विवरण):

(i) नाम

(ii) पिता का नाम

(iii) फ्लैट/मकान संख्या, गली, स्थान, पिन-कोड सहित पूरा पता

(iv) दूरभाष संख्या, यदि कोई हो

(v) ई-मेल पता, यदि कोई हो

(vi) अभिलेख को अभिरक्षा में रखने के लिए अभिहित कंपनी के अधिकारी के आद्याक्षर

[फा. सं. 1/21/2013/-सीएल-वी]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 251(E).—In exercise of the powers conferred under section 26, sub-section (1) of section 27, section 28, section 29, sub-section (2) of section 31, sub-sections (3) and (4) of section 39, sub-section (6) of section 40 and section 42 read with section 469 of the Companies Act, 2013 and in supersession of the Companies (Central Government's) General Rules and Forms, 1956 or any other rules prescribed under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) on matters covered under these rules except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. **Definitions.**— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
- (b) “Annexure” means the Annexure to these rules;
- (c) “fees” means fees as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014;
- (d) “Form” or ‘e-Form” means a form set forth in Annexure to these rules which shall be used for the matter to which it relates;
- (e) “Regional Director” means the person appointed by the Central Government in the Ministry of Corporate Affairs as a Regional Director;
- (f) “section” means section of the Act;

(2) Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said Rules.

3. **Information to be stated in the prospectus.**— (1) The Prospectus to be issued shall contain—

(a) the names, addresses and contact details of the corporate office of the issuer company, compliance officer of the issuer company, merchant bankers and co-managers to the issue, registrar to the issue, bankers to the issue, stock brokers to the issue, credit rating agency for the issue, arrangers, if any, of the instrument, names and addresses of such other persons as may be specified by the Securities and Exchange Board in its regulations;

(b) the dates relating to opening and closing of the issue;

(c) a declaration which shall be made by the Board or the Committee authorised by the Board in the prospectus that the allotment letters shall be issued or application money shall be refunded within fifteen days from the closure of the issue or such lesser time as may be specified by Securities and Exchange Board or else the application money shall be refunded to the applicants forthwith, failing which interest shall be due to be paid to the applicants at the rate of fifteen per cent. per annum for the delayed period.

(d) a statement given by the Board that all monies received out of the issue shall be transferred to a separate bank account maintained with a Scheduled Bank;

(e) the details of all utilized and unutilised monies out of the monies collected in the previous issue made by way of public offer shall be disclosed and continued to be disclosed in the balance sheet till the time any part of the proceeds of such previous issue remains unutilized indicating the purpose for which such monies have been utilized, and the securities or other forms of financial assets in which such unutilized monies have been invested;

(f) the names, addresses, telephone numbers, fax numbers and e-mail addresses of the underwriters and the amount underwritten by them;

(g) the consent of trustees, solicitors or advocates, merchant bankers to the issue, registrar to the issue, lenders and experts;

(2) The capital structure of the company shall be presented in the following manner, namely:—

(i) (a) the authorised, issued, subscribed and paid up capital (number of securities, description and aggregate nominal value);

(b) the size of the present issue;

(c) the paid up capital-

(A) after the issue;

(B) after conversion of convertible instruments (if applicable);

(d) the share premium account (before and after the issue);

(ii) the details of the existing share capital of the issuer company in a tabular form, indicating therein with regard to each allotment, the date of allotment, the number of shares allotted, the face value of the shares allotted, the price and the form of consideration:

Provided that in the case of an initial public offer of an existing company, the details regarding individual allotment shall be given from the date of incorporation of the issuer and in the case of a listed issuer company, the details shall be given for five years immediately preceding the date of filing of the prospectus:

Provided that the issuer company shall also disclose the number and price at which each of the allotments were made in the last two years preceding the date of the prospectus separately indicating the allotments made for considerations other than cash and the details of the consideration in each case.

(3) The prospectus to be issued shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the objects of the issue;
- (b) the purpose for which there is a requirement of funds ;
- (c) the funding plan (means of finance);
- (d) the summary of the project appraisal report (if any);
- (e) the schedule of implementation of the project;
- (f) the interim use of funds, if any

(4) The prospectus to be issued shall contain the following details and disclosures, namely:—

(i) the details of any litigation or legal action pending or taken by any Ministry or Department of the Government or a statutory authority against any promoter of the issuer company during the last five years immediately preceding the year of the issue of the prospectus and any direction issued by such Ministry or Department or statutory authority upon conclusion of such litigation or legal action shall be disclosed;

(ii) the details of pending litigation involving the issuer, promoter, director, subsidiaries, group companies or any other person, whose outcome could have material adverse effect on the position of the issuer;

(iii) the details of pending proceedings initiated against the issuer company for economic offences;

(iv) the details of default and non-payment of statutory dues etc.

(5) The details of directors including their appointment and remuneration, and particulars of the nature and extent of their interests in the company shall be disclosed in the following manner, namely:—

(i) the name, designation, Director Identification Number (DIN), age, address, period of directorship, details of other directorships;

(ii) the remuneration payable or paid to the director by the issuer company, its subsidiary and associate company; shareholding of the director in the company including any stock options; shareholding in subsidiaries and associate companies; appointment of any relatives to an office or place of profit;

(iii) the full particulars of the nature and extent of interest, if any, of every director:

(a) in the promotion of the issuer company; or

(b) in any immoveable property acquired by the issuer company in the two years preceding the date of the Prospectus or any immoveable property proposed to be acquired by it.

(iv) where the interest of such a director consists in being a member of a firm or company, the nature and extent of his interest in the firm or company, with a statement of all sums paid or agreed to be paid to him or to the firm or company in cash or shares or otherwise by any person either to induce him to become, or to help him qualify as a director, or otherwise for services rendered by him or by the firm or company, in connection with the promotion or formation of the issuer company shall be disclosed.

(6) The sources of promoters' contribution, if any, shall be disclosed in the following manner, namely:—

(i) the total shareholding of the promoters, clearly stating the name of the promoter, nature of issue, date of allotment, number of shares, face value, issue price or consideration, source of funds contributed, date when the shares were made fully paid up, percentage of the total pre and post issue capital;

(ii) the proceeds out of the sale of shares of the company and shares of its subsidiary companies previously held by each of the promoters;

(iii) the disclosure for sources of promoters contribution shall also include the particulars of name, address and the amount so raised as loan, financial assistance etc , if any, by promoters for making such contributions and in case of own sources, complete details thereof.

4. Reports to be set out in the Prospectus.- The following reports shall be set out with the prospectus, namely:—

(1) The reports by the auditors with respect to profits and losses and assets and liabilities.

Explanation.- For the purposes of this sub-rule, the report shall also include the amounts or rates of dividends, if any, paid by the issuer company in respect of each class of shares for each of the five financial years immediately preceding the year of issue of the prospectus, giving particulars of each class of shares on which such dividends have been paid and particulars of the cases in which no dividends have been paid in respect of any class of shares for any of those years:

Provided that if no accounts have been made up in respect of any part of the period of five years ending on a date three months before the issue of the prospectus, a statement of that fact accompanied by a statement of the accounts of the issuer company in respect of that part of the said period up to a date not earlier than six months of the date of issue of the prospectus indicating the profit or loss for that period and assets and liabilities position as at the end of that period together with a certificate from the auditors that such accounts have been examined and found correct and the said statement may indicate the nature of provision or adjustments made or which are yet to be made.

(2) The reports relating to profits and losses for each of the five financial years or where five financial years have not expired, for each of the financial year immediately preceding the issue of the prospectus shall-

(a) if the company has no subsidiaries, deal with the profits or losses of the company (distinguishing items of a non-recurring nature) for each of the five financial years immediately preceding the year of the issue of the prospectus; and

(b) if the company has subsidiaries, deal separately with issuer company's profits or losses as provided in clause (a) and in addition, deal either -

(i) as a whole with the combined profits or losses of its subsidiaries, so far as they concern members of the issuer company; or

(ii) individually with the profits or losses of each subsidiary, so far as they concern members of the issuer company; or

(iii) as a whole with the profits or losses of the company, and, so far as they concern members of the issuer company, with the combined profits or losses of its subsidiaries.

(3) The reports made by the auditors in respect of the business of the company shall be stated in the prospectus in the manner provided in sub-rule (2).

5. Other matters and reports to be stated in the prospectus.—The prospectus shall include the following other matters and reports, namely:—

(1) If the proceeds, or any part of the proceeds, of the issue of the shares or debentures are or is to be applied directly or indirectly—

(a) in the purchase of any business; or

(b) in the purchase of an interest in any business and by reason of that purchase, or anything to be done in consequence thereof, or in connection therewith; the company shall become entitled to an interest in either the capital or profits and losses or both, in such business exceeding fifty per cent. thereof,

a report made by a chartered accountant (who shall be named in the prospectus) upon—

(i) the profits or losses of the business for each of the five financial years immediately preceding the date of the issue of the prospectus ; and

(ii) the assets and liabilities of the business as on the last date to which the accounts of the business were made up, being a date not more than one hundred and twenty days before the date of the issue of the prospectus;

(c) in purchase or acquisition of any immoveable property including indirect acquisition of immoveable property for which advances have been paid to even third parties, disclosures regarding—

- (i) the names, addresses, descriptions and occupations of the vendors;
- (ii) the amount paid or payable in cash, to the vendor and, where there is more than one vendor, or the company is a sub-purchaser, the amount so paid or payable to each vendor, specifying separately the amount, if any, paid or payable for goodwill;
- (iii) the nature of the title or interest in such property proposed to be acquired by the company; and
- (iv) the particulars of every transaction relating to the property, completed within the two preceding years, in which any vendor of the property or any person who is, or was at the time of the transaction, a promoter, or a director or proposed director of the company had any interest, direct or indirect, specifying the date of the transaction and the name of such promoter, director or proposed director and stating the amount payable by or to such vendor, promoter, director or proposed director in respect of the transaction.

(2)(a) If -

- (i) the proceeds, or any part of the proceeds, of the issue of the shares or debentures are or are to be applied directly or indirectly and in any manner resulting in the acquisition by the company of shares in any other body corporate; and
- (ii) by reason of that acquisition or anything to be done in consequence thereof or in connection therewith, that body corporate shall become a subsidiary of the company, a report shall be made by a Chartered Accountant (who shall be named in the prospectus) upon -
 - (A) the profits or losses of the other body corporate for each of the five financial years immediately preceding the issue of the prospectus; and
 - (B) the assets and liabilities of the other body corporate as on the last date to which its accounts were made up.

(b) The said report shall -

- (i) indicate how the profits or losses of the other body corporate dealt with by the report would, in respect of the shares to be acquired, have concerned members of the issuer company and what allowance would have been required to be made, in relation to assets and liabilities so dealt with for the holders of the balance shares, if the issuer company had at all material times held the shares proposed to be acquired; and
- (ii) where the other body corporate has subsidiaries, deal with the profits or losses and the assets and liabilities of the body corporate and its subsidiaries in the manner as provided in sub-clause (ii) of clause (a).

(3) The matters relating to terms and conditions of the term loans including re-scheduling, prepayment, penalty, default.

(4) The aggregate number of securities of the issuer company and its subsidiary companies purchased or sold by the promoter group and by the directors of the company which is a promoter of the issuer company and by the directors of the issuer company and their relatives within six months immediately preceding the date of filing the prospectus with the Registrar of Companies shall be disclosed.

(5) The matters relating to -

- (A) Material contracts;
- (B) Other material contracts;
- (C) Time and place at which the contracts together with documents will be available for inspection from the date of prospectus until the date of closing of subscription list.

(6) The related party transactions entered during the last five financial years immediately preceding the issue of prospectus as under -

- (a) all transactions with related parties with respect to giving of loans or, guarantees, providing securities in connection with loans made, or investments made ;
- (b) all other transactions which are material to the issuer company or the related party, or any transactions that are unusual in their nature or conditions, involving goods, services, or tangible or intangible assets, to which the issuer company or any of its parent companies was a party:

Provided that the disclosures for related party transactions for the period prior to notification of these rules shall be to the extent of disclosure requirements as per the Companies Act, 1956 and the relevant accounting standards prevailing at the said time.

(7) The summary of reservations or qualifications or adverse remarks of auditors in the last five financial years immediately preceding the

year of issue of prospectus and of their impact on the financial statements and financial position of the company and the corrective steps taken and proposed to be taken by the company for each of the said reservations or qualifications or adverse remarks.

(8) The details of any inquiry, inspections or investigations initiated or conducted under the Companies Act or any previous companies law in the last five years immediately preceding the year of issue of prospectus in the case of company and all of its subsidiaries; and if there were any prosecutions filed (whether pending or not); fines imposed or compounding of offences done in the last five years immediately preceding the year of the prospectus for the company and all of its subsidiaries.

(9) The details of acts of material frauds committed against the company in the last five years, if any, and if so, the action taken by the company.

(10) A fact sheet shall be included at the beginning of the prospectus which shall contain -

(a) the type of offer document ("Red Herring Prospectus" or "Shelf Prospectus"

or "Prospectus").

(b) the name of the issuer company, date and place of its incorporation, its logo, address of its registered office, its telephone number, fax number, details of contact person, website address, e-mail address;

(c) the names of the promoters of the issuer company;

(d) the nature, number, price and amount of securities offered and issue size, as may be applicable;

(e) the aggregate amount proposed to be raised through all the stages of offers of specified securities made through the shelf prospectus;

(f) the name, logo and address of the registrar to the issue, along with its telephone number, fax number, website address and e-mail address;

(g) the issue schedule -

(i) date of opening of the issue;

(ii) date of closing of the issue;

(iii) date of earliest closing of the issue, if any.

(h) the credit rating, if applicable;

(i) all the grades obtained for the initial public offer;

(j) the name(s) of the recognised stock exchanges where the securities are proposed to be listed;

(k) the details about eligible investors;

(l) coupon rate, coupon payment frequency, redemption date, redemption amount and details of debenture trustee in case of debt securities.

6. **Period for which information to be provided in certain cases.**—For the matters specified in rules 3 to 5, which require a company to provide certain particulars or information relating to the preceding five financial years, it shall be sufficient compliance for a company which has not completed five years, if such company provides such particulars or information for all the previous years since its incorporation.

7. **Variation in terms of contracts referred to in the prospectus or objects for which prospectus was issued.**—

(1) where the company has raised money from public through prospectus and has any unutilized amount out of the money

so raised, it shall not vary the terms of contracts referred to in the prospectus or objects for which the prospectus was issued except by passing a special resolution through postal ballot and the notice of the proposed special resolution shall contain the following particulars, namely:—

- (a) the original purpose or object of the Issue;
- (b) the total money raised;
- (c) the money utilised for the objects of the company stated in the prospectus;
- (d) the extent of achievement of proposed objects(that is fifty percent, sixty percent, etc);
- (e) the unutilised amount out of the money so raised through prospectus,
- (f) the particulars of the proposed variation in the terms of contracts referred to in the prospectus or objects for which prospectus was issued;
- (g) the reason and justification for seeking variation;
- (h) the proposed time limit within which the proposed varied objects would be achieved;
- (i) the clause-wise details as specified in sub-rule (3) of rule 3 as was required with respect to the originally proposed objects of the issue;
- (j) the risk factors pertaining to the new objects; and
- (k) the other relevant information which is necessary for the members to take an informed decision on the proposed resolution.

(2) The advertisement of the notice for getting the resolution passed for varying the terms of any contract referred to in the prospectus or altering the objects for which the prospectus was issued, shall be in Form **PAS-1** and such advertisement shall be published simultaneously with dispatch of Postal Ballot Notices to Shareholders.

(3) The notice shall also be placed on the web-site of the company, if any.

8. Offer of Sale by Members.— (1) The provisions of Part I of Chapter III namely “Prospectus and Allotment of Securities” and rules made there under shall be applicable to an offer of sale referred to in section 28 except for the following, namely:-

- (a) the provisions relating to minimum subscription;
- (b) the provisions for minimum application value;
- (c) the provisions requiring any statement to be made by the Board of directors in respect of the utilization of money; and
- (d) any other provision or information which cannot be compiled or gathered by the offeror, with detailed justifications for not being able to comply with such provisions.

(2) The prospectus issued under section 28 shall disclose the name of the person or persons or entity bearing the cost of making the offer of sale along with reasons.

9. Dematerialisation of securities.—The promoters of every public company making a public offer of any convertible securities may hold such securities only in dematerialised form:

Provided that the entire holding of convertible securities of the company by the promoters held in physical form up to the date of the initial public offer shall be converted into dematerialised form before such offer is made and thereafter such promoter shareholding shall be held in dematerialized form only.

10. Shelf prospectus and Information Memorandum.—The information memorandum shall be prepared in Form **PAS-2** and filed with the Registrar along with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 within one month prior to the issue of a second or subsequent offer of securities under the shelf prospectus.

11. Refund of Application Money.— (1) If the stated minimum amount has not been subscribed and the sum payable on application is not received within the period specified therein, then the application money shall be repaid within a period of fifteen days from the closure of the issue and if any such money is not so repaid within such period, the directors of the company who are officers in default shall jointly and severally be liable to repay that money with interest at the rate of fifteen percent per annum.

(2) The application money to be refunded shall be credited only to the bank account from which the subscription was remitted.

12. Return of Allotment.— (1) Whenever a company having a share capital makes any allotment of its securities, the company shall, within thirty days thereafter, file with the Registrar a return of allotment in Form **PAS-3**, along with the fee as specified in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.

(2) There shall be attached to the Form **PAS-3** a list of allottees stating their names, address, occupation, if any, and number of securities allotted to each of the allottees and the list shall be certified by the signatory of the Form **PAS-3** as being complete and correct as per the records of the company.

(3) In the case of securities (not being bonus shares) allotted as fully or partly paid up for consideration other than cash, there shall be attached to the Form **PAS-3** a copy of the contract, duly stamped, pursuant to which the securities have been allotted together with any contract of sale if relating to a property or an asset, or a contract for services or other consideration.

(4) Where a contract referred to in sub-rule (3) is not reduced to writing, the company shall furnish along with the Form **PAS-3** complete particulars of the contract stamped with the same stamp duty as would have been payable if the contract had been reduced to writing and those particulars shall be deemed to be an instrument within the meaning of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), and the Registrar may, as a condition of filing the particulars, require that the stamp duty payable thereon be adjudicated under section 31 of the Indian Stamp Act, 1899.

(5) A report of a registered valuer in respect of valuation of the consideration shall also be attached along with the contract as mentioned in sub-rule (3) and sub-rule (4).

(6) In the case of issue of bonus shares, a copy of the resolution passed in the general meeting authorizing the issue of such shares shall be attached to the Form **PAS-3**.

(7) In case the shares have been issued in pursuance of clause (c) of sub-section (1) of section 62 by a company other than a listed company whose equity shares or convertible preference shares are listed on any recognised stock exchange, there shall be attached to Form **PAS-3**, the valuation report of the registered valuer.

Explanation.— Pending notification of sub-section (1) of section 247 of the Act and finalisation of qualifications and experience of valuers, valuation of stocks, shares, debentures, securities etc. shall be conducted by an independent merchant banker who is registered with the Securities and Exchange Board of India or an independent chartered accountant in practice having a minimum experience of ten years.

13. Payment of commission.—A company may pay commission to any person in connection with the subscription or procurement of subscription to its securities, whether absolute or conditional, subject to the following conditions, namely:

(a) the payment of such commission shall be authorized in the company's articles of association;

(b) the commission may be paid out of proceeds of the issue or the profit of the company or both;

(c) the rate of commission paid or agreed to be paid shall not exceed, in case of shares, five percent of the price at which the shares are issued or a rate authorised by the articles, whichever is less, and in case of debentures, shall not exceed two and a half per cent of the price at which the debentures are issued, or as specified in the company's articles, whichever is less;

(d) the prospectus of the company shall disclose—

(i) the name of the underwriters;

(ii) the rate and amount of the commission payable to the underwriter; and

(iii) the number of securities which is to be underwritten or subscribed by the underwriter absolutely or conditionally.

(e) there shall not be paid commission to any underwriter on securities which are not offered to the public for subscription;

(f) a copy of the contract for the payment of commission is delivered to the Registrar at the time of delivery of the prospectus for registration.

14. Private Placement.— (1)(a) For the purposes of sub-section (1) of section 42, a company may make an offer or invitation to subscribe to securities through issue of a private placement offer letter in Form **PAS-4**.

(b) A private placement offer letter shall be accompanied by an application form serially numbered and addressed specifically to the person to whom the offer is made and shall be sent to him, either in writing or in electronic mode, within thirty days of recording the names of such persons in accordance with sub-section (7) of section 42:

Provided that no person other than the person so addressed in the application form shall be allowed to apply through such application form and any application not conforming to this condition shall be treated as invalid.

(2) A company shall not make a private placement of its securities unless –

(a) the proposed offer of securities or invitation to subscribe securities has been previously approved by the shareholders of the company, by a Special Resolution, for each of the Offers or Invitations:

Provided that in the explanatory statement annexed to the notice for the general meeting the basis or justification for the price (including premium, if any) at which the offer or invitation is being made shall be disclosed:

Provided further that in case of offer or invitation for non-convertible debentures, it shall be sufficient if the company passes a previous special resolution only once in a year for all the offers or invitation for such debentures during the year.

(b) such offer or invitation shall be made to not more than two hundred persons in the aggregate in a financial year:

Provided that any offer or invitation made to qualified institutional buyers, or to employees of the company under a scheme of employees stock option as per provisions of clause (b) of sub-section (1) of section 62 shall not be considered while calculating the limit of two hundred persons;

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, it is hereby clarified that -

(i) the restrictions under sub-clause (b) would be reckoned individually for each kind of security that is equity share, preference share or debenture;

(ii) the requirement of provisions of sub-section (3) of section 42 shall apply in respect of offer or invitation of each kind of security and no offer or invitation of another kind of security shall be made unless allotments with respect to offer or invitation made earlier in respect of any other kind of security is completed;

(c) the value of such offer or invitation per person shall be with an investment size of not less than twenty thousand rupees of face value of the securities;

(d) the payment to be made for subscription to securities shall be made from the bank account of the person subscribing to such securities and the company shall keep the record of the Bank account from where such payments for subscriptions have been received:

Provided that monies payable on subscription to securities to be held by joint holders shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application.

(3) The company shall maintain a complete record of private placement offers in Form **PAS-5**:

Provided that a copy of such record along with the private placement offer letter in Form **PAS-4** shall be filed with the Registrar with fee as provided in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 and where the company is listed, with the Securities and Exchange Board within a period of thirty days of circulation of the private placement offer letter.

Explanation.- For the purpose of this rule, it is hereby clarified that the date of private placement offer letter shall be deemed to be the date of circulation of private placement offer letter.

(4) A return of allotment of securities under section 42 shall be filed with the Registrar within thirty days of allotment in Form **PAS-3** and with the fee as provided in the Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 along with a complete list of all security holders containing-

- (i) the full name, address, Permanent Account Number and E-mail ID of such security holder;
- (ii) the class of security held;
- (iii) the date of allotment of security ;
- (iv) the number of securities held, nominal value and amount paid on such securities; and particulars of consideration received if the securities were issued for consideration other than cash.

(5) The provisions of clauses (b) and (c) of sub-rule (2) shall not be applicable to -

- (a) non-banking financial companies which are registered with the Reserve Bank of India under Reserve Bank of India Act, 1934; and
- (b) housing finance companies which are registered with the National Housing Bank under National Housing Bank Act, 1987,

if they are complying with regulations made by Reserve Bank of India or National Housing Bank in respect of offer or invitation to be issued on private placement basis:

Provided that such companies shall comply with sub-clauses (b) and (c) of sub-rule (2) in case the Reserve Bank of India or the National Housing Bank have not specified similar regulations.

ANNEXURE

Form PAS-1

[Pursuant to section 27(1) and rule7(2) of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]

Advertisement giving details of notice of special resolution for varying the terms of any contract referred to in the prospectus or altering the objects for which the prospectus was issued

Corporate Identification Number (CIN) -
Name of the company-
Registered office address-

Public Notice

Notice is hereby given that by a resolution dated....., the Board has proposed to vary the terms of the contract referred to in the prospectus dated..... (or to alter the object(s) for which the prospectus dated..... was issued) issued in connection with issue of [number and description of securities] at an issue price of Rs. ___/- per [description of security] aggregating to Rs. _____/.

In pursuance of the said resolution, further notice is given that for approving the said proposition, a special resolution is to be passed by postal ballot.

The details regarding such variation/alteration are as follows-

- 1) Particulars of the terms of the contract to be varied (or objects to be altered)-
- 2) Particulars of the proposed variation/alteration-
- 3) Reasons/justification for the variation-
- 4) Effect of the proposed variation/alteration on the financial position of the company-
- 5) Major Risk factors pertaining to the new Objects
- 6) Names of Directors who voted against the proposed variation/alteration

Any interested person may obtain the copy of the special resolution along with the explanatory statement free of charge at the registered office of the company or at the office of its Company Secretary Shri..... at..... or visit the website of the Company viz. ----- for a copy of the same.

Signature

Date

Place

FORM PAS.2

[Pursuant to section 31(2) of the Companies Act, 2013 and rule 10 of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]

**Information Memorandum**

Form language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1. Particulars of the company

(a) *Corporate Identification Number (CIN)

(b) Global Location number

(c) Name of the company

(d) Address of Registered office of the company

(e) email id of the company

2. *Details of Shelf Prospectus

(a) Reference details

(b) Date of filing with Registrar

(c) Date of issue

(d) Period of validity of shelf prospectus

3. *Details of securities being offered

Particulars	Total Number of securities Offered under the Shelf Prospectus	Number of securities allotted prior to the present offer	Number of securities offered under the present offer
Kind of security			

Face value per security (in Rs.)			
Premium per security (in Rs.)			
Issue price per security			

4. Date wise details of charges created on the assets / properties of the company since first offer or previous offer of securities –

*Number of charges created

I. Particulars of charges created

(a) *Date of creation of charge

(b) *Purpose for which charge has been created

(c) *Amount for which charge has been created

(d) *Period of charge (in months)

(e) *Details of assets / property on which charge has been created

(f) *Name of the charge holder

(g) Brief terms and conditions of the charge

5. *Change in financial position of the company – (Pre allotment and post allotment)

Particulars	Pre allotment	Post allotment
-------------	---------------	----------------

Equity share capital		
Preference share capital		
Reserve and surplus		
Debt		
Secured debts		
Unsecured debts		
Total		

6. Changes in the Share Capital, i.e. Capitalization Statement-
Number of times reserves capitalized

Particulars	
Name of the reserve	
Nature of reserve	
Capitalized amount of the reserve	
Number of shares issued	
Par value of the shares issued	

7. Changes in accounting policies

8. Change in the risk factors as stated in the Shelf Prospectus and in the information memorandum filed with respect to previous offer

9. Economic changes that may affect income from continuing operations

10. Any significant changes in the activities of the company, which may have a material effect on the profit/loss of the company, including the loss of agencies or markets and similar factors

11. *Changes in the total turnover of each major industry segment in which the issuer operates

12. Any significant legal proceedings initiated by the company or against the company or its directors, the outcome of which could have an adverse impact on the company

13. Any significant claim made by any person or any authority against the company

14. Any significant change in the business environment of the company whether technological, financial, market related , government policy or otherwise , adversely affecting, in present or in future, the business of the company

15. Any significant change in the management or ownership of the company

16. Any other change which may reasonably influence the investment decision of an investor

17. *Gist of details of proposed objects with reference to the current offering including project plan, financial details, time period of meeting the objects and other relevant factors

Attachments:

1. Optional attachment(s), if any.

Declaration

I * am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution no* dated* to sign this form and declare that all the

requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. I also declare that all the information given herein above is true, correct and complete including the attachments to this form and nothing material has been suppressed.

To be digitally signed by

DSC Box

*Designation

*Director identification number of the director or Managing Director; or DIN or PAN of the manager/CEO/CFO; or Membership number of the Company Secretary

FORM PAS. 3**Return of Allotment**

[Pursuant to section 39(4) and 42 (9) of the Companies Act, 2013 and rule 12 and 14 of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]

Form language English Hindi

Refer the instruction kit for filing the form.

1.(a) *Corporate identity number (CIN) of company

Pre - Fill

(b) Global location number (GLN) of company

2.(a) Name of the company

(b) Address of the registered office of the company

(c) *e-mail ID of the company

3. Securities allotted payable in cash

*Number of allotments

(i)*Date of allotment

(DD/MM/YYYY)

(ii)(a)Date of passing shareholders' resolution

(b)SRN of Form No MGT-14

Particulars	<input type="checkbox"/> Preference shares	<input type="checkbox"/> Equity shares without Differential rights	<input type="checkbox"/> Equity Shares with differential rights	<input type="checkbox"/> Debentures
Brief particulars of terms and conditions				
Number of securities allotted				
Nominal amount per security (in Rs.)				
Total nominal amount (in Rs.)				
Amount paid per security on application (excluding premium) (in Rs.)				
Total amount paid on application (excluding premium) (in Rs.)				
Amount due and payable on allotment				

per security (excluding premium) (in Rs.)				
Total amount payable on allotment (excluding premium) (in Rs.)				
Premium amount per security due and payable (if any) (in Rs.)				
Total premium amount due and payable (if any) (in Rs.)				
Premium amount paid per security (if any) (in Rs.)				
Total premium amount paid (if any) (in Rs.)				
Amount of discount per security (if any)(in Rs.)				
Total discount amount (if any) (in Rs.)				
Amount to be paid on calls per security (if any) (excluding premium) (in Rs.)				
Total amount to be paid on calls (if any) (excluding premium) (in Rs.)				

4. Securities allotted for consideration other than cash

*Number of allotments
 (i)*Date of allotment (DD/MM/YYYY)
 (ii)(a)Date of passing shareholders' resolution
 (b)SRN of Form No MGT-14

Particulars	<input type="checkbox"/> Preference shares	<input type="checkbox"/> Equity shares without differential rights	<input type="checkbox"/> Equity shares with differential rights	<input type="checkbox"/> Debentures
Number of securities allotted				
Nominal amount per security (in Rs.)				
Total nominal amount (in Rs.)				
Amount to be treated as paid up on each security (in Rs.)				
Premium amount per security (if any) (in Rs.)				
Total premium amount (if any) (in Rs.)				
Amount of discount per security (if any)(in Rs.)				

Total discount amount (if any) (in Rs.)				
---	--	--	--	--

(iv)*Details of consideration

Consideration for which such securities have been allotted	Description of the consideration	Value (amount inRs.)
(a) Property and assets acquired		
(b) Goodwill		
(c) Services (give nature of services)		
(d) Conversion of Debentures		
(e) Conversion of Loans		
(f) Other items (to be specified)		

(v)*Whether an agreement or contract is executed in writing for allotting securities for consideration other than cash (if yes, attach a copy of such agreement or contract).

Yes No

(vi) Whether valuation report of the Valuer has been obtained. Yes No

5. Bonus shares issued

- (a) Date of allotment
 (b) Number of bonus shares
 (c) Nominal amount per share (in Rs.)
 (d) Amount to be treated as paid up per share (in Rs.)
 (e)*Date of passing special resolution
 (f)*SRN of relevant form relating to special resolution

6. In respect of private placement –

- (a) Category to whom allotment is being made: (check box)

(Categories: Existing shareholders, Employees, directors, Qualified Institutional Buyers, Others)

- (b) Declaration that in respect of preferential allotment or private placement the company has: (check box)

- allotted relevant securities to less than two hundred persons in aggregate in a financial year excluding exempted categories;
 not allotted securities with an application size of less than twenty thousand per person;
 offered such securities through private placement offer letter and no prospectus or any other public advertisement has been issued for the same;
 completed allotment in respect of earlier private placement offers;

7. Capital Structure of the company after taking in to consideration the above allotments(s) of shares :

Particulars	Authorized Capital	Issued capital	Subscribed capital	Paid Up capital
Number of equity shares				
Nominal amount per equity share				
Total amount of equity shares				
Number of preference shares				
Nominal value per preference share				
Total amount of preference shares				
Unclassified shares				
Total amount of unclassified shares				
Total				

- received money payable on subscription of such securities through cheque or demand draft or other banking channels but not in cash;
- made such offers only to the persons whose names were recorded by the company prior to such invitation and such persons have received such offer by name;
- Maintained a complete record of such offers and acceptances in Form No. PAS-5.

8. *Debt Structure of the company after taking into consideration the above allotment(s) of debentures/ other security:

Particulars	Total number of securities	Nominal value per unit of security	Total amount
Debentures			
Secured loans			
Others, specify			

9. *Whether complete list of allottees has been enclosed as an attachment. o Yes o No
In case 'No', submit details in a CD separately.

Attachments:

- *List of allottees. Attach separate list for each allotment (refer instruction kit for format). If not attached, then it shall be submitted separately in a CD.
- *Copy of Board or Shareholders' resolution.
- Valuation Report from the valuer, if any;

4. Copy of contract where shares have been allotted for consideration other than cash or attachment wherein the details of contract reduced in writing by the company , if any;
5. Copy of the special resolution authorizing the issue of bonus shares;
6. Complete record of private placement offers and acceptances in Form PAS-5.
7. Optional attachment(s), if any.

Declaration

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number* dated* to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association.

It is further declared and verified that:

1. All the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.
2. The list of allottees is correct and complete as per records of the company.
3. Where the securities are issued other than cash, the contract as well as list of allottees and any other contract of sale, or a contract for services or other consideration in respect of which that allotment is made is attached herewith. If not, then an attachment has been attached by the company mentioning all the particulars of the contract in writing.

To be digitally signed by

DSC Box

*Designation [(Drop down): Director or Managing

Director or Manager or Company Secretary or CEO or CFO]

*Director identification number of the director or Managing

Director; or DIN or PAN of the manager/CEO/CFO; or

Membership number of the Company Secretary

FORM NO PAS-4**PRIVATE PLACEMENT OFFER LETTER**

[Pursuant to section 42 and rule 14(1) of Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014]

The Private Placement Offer Letter shall contain the following:

1. GENERAL INFORMATION

- a. Name, address, website and other contact details of the company indicating both registered office and corporate office;
- b. Date of incorporation of the company;
- c. Business carried on by the company and its subsidiaries with the details of branches or units, if any;
- d. Brief particulars of the management of the company;
- e. Names, addresses, DIN and occupations of the directors;
- f. Management's perception of risk factors;
- g. Details of default, if any, including therein the amount involved, duration of default and present status, in repayment of –
 - i) statutory dues;
 - ii) debentures and interest thereon;
 - iii) deposits and interest thereon;
 - iv) loan from any bank or financial institution and interest thereon.
- h. Names, designation, address and phone number, email ID of the nodal/ compliance officer of the company, if any, for the private placement offer process;

2. PARTICULARS OF THE OFFER

- a. Date of passing of board resolution;
- b. Date of passing of resolution in the general meeting, authorizing the offer of securities;
- c. Kinds of securities offered (i.e. whether share or debenture) and class of security;
- d. price at which the security is being offered including the premium, if any, alongwith justification of the price;
- e. name and address of the valuer who performed valuation of the security offered;
- f. Amount which the company intends to raise by way of securities;
- g. Terms of raising of securities: Duration, if applicable, Rate of dividend or rate of interest, mode of payment and repayment;

- h. Proposed time schedule for which the offer letter is valid;
- i. Purposes and objects of the offer;
- j. contribution being made by the promoters or directors either as part of the offer or separately in furtherance of such objects;
- k. Principle terms of assets charged as security, if applicable;

3. DISCLOSURES WITH REGARD TO INTEREST OF DIRECTORS, LITIGATION ETC.

- i. Any financial or other material interest of the directors, promoters or key managerial personnel in the offer and the effect of such interest in so far as it is different from the interests of other persons.
- ii. details of any litigation or legal action pending or taken by any Ministry or Department of the Government or a statutory authority against any promoter of the offeree company during the last three years immediately preceding the year of the circulation of the offer letter and any direction issued by such Ministry or Department or statutory authority upon conclusion of such litigation or legal action shall be disclosed
- iii. remuneration of directors (during the current year and last three financial years);
- iv Related party transactions entered during the last three financial years immediately preceding the year of circulation of offer letter including with regard to loans made or, guarantees given or securities provided
- v. Summary of reservations or qualifications or adverse remarks of auditors in the last five financial years immediately preceding the year of circulation of offer letter and of their impact on the financial statements and financial position of the company and the corrective steps taken and proposed to be taken by the company for each of the said reservations or qualifications or adverse remark
- vi. Details of any inquiry, inspections or investigations initiated or conducted under the Companies Act or any previous company law in the last three years immediately preceding the year of circulation of offer letter in the case of company and all of its subsidiaries. Also if there were any prosecutions filed (whether pending or not) fines imposed, compounding of offences in the last three years immediately preceding the year of the offer letter and if so, section-wise details thereof for the company and all of its subsidiaries
- vii. Details of acts of material frauds committed against the company in the last three years, if any, and if so, the action taken by the company

4. FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY

- (a) the capital structure of the company in the following manner in a tabular form-

(i) (a) the authorised, issued, subscribed and paid up capital (number of securities, description and aggregate nominal value);

(b) size of the present offer;

(c) paid up capital

(A) after the offer;

(B) after conversion of convertible instruments (if applicable)

(d) share premium account (before and after the offer)

(ii) the details of the existing share capital of the issuer company in a tabular form, indicating therein with regard to each allotment, the date of allotment, the number of shares allotted, the face value of the shares allotted, the price and the form of consideration

Provided that the issuer company shall also disclose the number and price at which each of the allotments were made in the last one year preceding the date of the offer letter separately indicating the allotments made for considerations other than cash and the details of the consideration in each case;

(b) Profits of the company, before and after making provision for tax, for the three financial years immediately preceding the date of circulation of offer letter;

(c) Dividends declared by the company in respect of the said three financial years; interest coverage ratio for last three years (Cash profit after tax plus interest paid/interest paid)

(d) A summary of the financial position of the company as in the three audited balance sheets immediately preceding the date of circulation of offer letter;

(e) Audited Cash Flow Statement for the three years immediately preceding the date of circulation of offer letter;

(f) Any change in accounting policies during the last three years and their effect on the profits and the reserves of the company.

5. A DECLARATION BY THE DIRECTORS THAT-

a. the company has complied with the provisions of the Act and the rules made thereunder;

b. the compliance with the Act and the rules does not imply that payment of dividend or interest or repayment of debentures, if applicable, is guaranteed by the Central Government;

c. the monies received under the offer shall be used only for the purposes and objects indicated in the Offer letter;

I am authorized by the Board of Directors of the Company vide resolution number _____ dated _____ to sign this form and declare that all the requirements of Companies Act, 2013 and the rules made thereunder in respect of the subject matter of this form and matters incidental thereto have been complied with. Whatever is stated in this form and in the attachments thereto is true, correct and complete and no information material to the subject matter of this form has been suppressed or concealed and is as per the original records maintained by the promoters subscribing to the Memorandum of Association and Articles of Association

It is further declared and verified that all the required attachments have been completely, correctly and legibly attached to this form.

Signed

Date:

Place:

Attachments:-

Copy of board resolution

Copy of shareholders resolution

Copy of _____

Optional attachments, if any

Form PAS-5

(Section 42(7) and Rule 14(3) of *Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014*)

Record of a private placement offer to be kept by the company

Name of the Company:

Registered office of the Company:

CIN:

DETAILS OF PRIVATE PLACEMENT OFFER :

Date when approval of the relevant authority (board or the shareholders, as the case may be) obtained for the current Private Placement Offer Letter :

Amount of the offer:

Date of circulation of private placement offer letter:

Following details (in a tabulate statement) of the persons to whom private placement offer letter has been circulated :-

(i) Name

(ii) Father's name

(iii) Complete Address including Flat/House Number, Street, Locality, Pin Code

(iv) Phone number, if any

(V) email ID, if any

(VI) Initial of the Officer of the company designated to keep the Record

[F. No. 1/21/2013-CI-V]
RENUKA KUMAR, Jt. Secy.

अधिसूचना
नई दिल्ली 31 मार्च, 2014

सा.का.नि. 252(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 469 के साथ पठित धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियों का निर्गम) नियम, 2014 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं – (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अभिप्रेत है;

(ख) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ग) “स्कीम” से विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड तथा साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 या उसका उपान्तरण अथवा उसकी पुनः अधिनियमित अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और अधिनियम या कंपनी (परिभाषा ब्यौरों के विनिर्देश) नियम, 2014 या विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बांड तथा साधारण शेयर (निक्षेपागार प्राप्ति तंत्र के माध्यम से) स्कीम, 1993 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम और उक्त नियमों या स्कीम में हैं।

3. निक्षेपागार रसीद का निर्गम करने की पात्रता - कोई कंपनी निक्षेपागार प्राप्तियां तभी जारी कर सकेगी जब वह इस स्कीम और विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम और विनियमों के निबंधनों में ऐसा करने के लिए पात्र हो।

4. निक्षेपागार प्राप्तियों को निर्गम करने की शर्तें – (1) निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के लिए आशयित कंपनी का निदेशक मंडल, कंपनी को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करते हुए एक संकल्प पारित करेगा।

(2) कंपनी साधारण अधिवेशन में पारित किए जाने के लिए विशेष संकल्प के द्वारा अपने शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगी:

परंतु कि निक्षेपागार प्राप्तियों के अंतर्गत शेयरों का निर्गम करने के लिए धारा 62 के अधीन पारित विशेष संकल्प उसी रूप में धारा 41 के प्रयोजन के लिए भी विशेष संकल्प समझा जाएगा।

(3) निक्षेपागार प्राप्तियों को कंपनी द्वारा नियुक्त विदेशी निक्षेपागार बैंक के द्वारा निर्गम किया जाएगा तथा अधीनस्थ शेयरों को देशी अभिरक्षण बैंक की अभिरक्षा में रखा जाएगा।

(4) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि इस स्कीम के सभी लागू उपबंध तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों अथवा विनियमों अथवा मार्गदर्शन सिद्धांतों का अनुपालन निक्षेपागार प्राप्तियों के जारी होने के पूर्व तथा उसके पश्चात् में किया जाये।

(5) कंपनी निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम से संबंधित सभी अनुपालनों की निगरानी करने के लिए, यथास्थिति, मर्चेट बैंकर अथवा व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा व्यवसायगत लागत लेखाकार अथवा व्यवसायगत कंपनी सचिव की नियुक्ति करेगी तथा व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट या व्यवसायगत ऐसे मर्चेट बैंकर अथवा लागत लेखाकार

अथवा व्यवसायगत कंपनी सचिव, से ली गई रिपोर्ट कंपनी के निदेशक मंडल या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निदेशक मंडल की समिति के अनुपालन में निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम होने की सभी औपचारिकताओं के समाप्त होने जाने के ठीक बाद इस निमित्त होने वाले अधिवेशन में रखी जाएगी:

परंतु ऊपरनिर्दिष्ट निदेशक मंडल की समिति के पास, यदि कंपनी के लिए एक स्वतंत्र निदेशक होना अपेक्षित है, तो कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होगा।

5. निक्षेपागार प्राप्तियों की रीति और प्ररूप – (1) निक्षेपागार प्राप्तियां लोक प्रस्ताव अथवा निजी स्थानन या विदेश में विद्यमान किसी अन्य रीति से जारी की जा सकती हैं तथा इन्हें विदेश में सूचीबद्ध करते हुए और व्यापारिक प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध या व्यापार किया जा सकेगा।

(2) निक्षेपागार प्राप्तियां केंद्रीय सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा विहित अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कंपनी के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों के प्रति प्रायोजित अथवा नए शेयरों के निर्गम के प्रति जारी की जा सकेगी।

(3) मुख्य शेयरों को विदेशी निक्षेपागार बैंक के नाम आवंटित किया जाएगा तथा ऐसे शेयरों के प्रति विदेश में, विदेशी निक्षेपागार बैंक द्वारा प्राप्तियां जारी की जाएंगी।

6. मताधिकार – (1) निक्षेपागार प्राप्तियों का धारक कंपनी का सदस्य बन सकेगा तथा इस तरह, वह स्कीम में उपबंधित प्रक्रिया तथा इस अधिनियम के उपबंधों का अनुसरण करने के पश्चात् मूल शेयरों में निक्षेपागार प्राप्तियों के संपरिवर्तन पर ही मतदान करने के लिए हकदार होगा।

(2) निक्षेपागार प्राप्तियों का संपरिवर्तन किए जाने तक विदेशी निक्षेपागार इस संबंध में निक्षेपागार प्राप्तियों के धारक तथा कंपनी के बीच हुए करार के उपबंधों के अनुसार निक्षेपागार प्राप्तियों के धारक की ओर से मत देने का हकदार होगा।

7. निर्गम का आगम – निक्षेपागार प्राप्तियों के निर्गम के आगम को भारत में किसी बैंक खाते अथवा विदेश में प्रचालनरत किसी भारतीय बैंक अथवा भारत में प्रचालनरत विदेशी बैंक में इस करार के साथ जमा कराया जाएगा कि भारत में प्रचालनरत विदेशी बैंक (जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन एक अधिसूचित बैंक है) भारत में प्रचालित विदेशी बैंक उन सभी सूचनाओं को प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी लेगा जो अपेक्षित हो तथा निक्षेपागार प्राप्तियों के प्रायोजित निर्गम की स्थिति में, बिक्री से आगम को शेयरधारकों के संबंधित उनके बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

8. प्रारंभ से पहले निक्षेपागार प्राप्तियां – (1) इन नियमों के प्रारंभ से पहले निक्षेपागार प्राप्तियां जारी करने वाली कंपनी ऐसे प्रारंभ के छह मास की अवधि के भीतर इन नियमों के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन करेगी।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के छह मास की अवधि के पश्चात् निक्षेपागार प्राप्तियों का कोई भी निर्गम इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप होगा।

9. इन अधिनियम के कतिपय उपबंधों का लागू न होना – (1) इस अधिनियम के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम, चूंकि उनका संबंध शेयरों या डिबेंचरों के लोक निर्गम से संबंध है, का उपयोग विदेश में निर्गम या निक्षेपागार प्राप्तियों के लिए नहीं होगा।

(2) प्रस्ताव दस्तावेज, जिस किसी भी नाम से जाना जाए और यदि इन्हें प्राप्तियों के निर्गम के लिए तैयार किया गया हो, को इस अधिनियम के आशय के अधीन प्रास्पेक्टस या प्रस्ताव दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा और

प्रास्पेक्टस के लिए लागू सभी उपबंध या प्रस्ताव दस्तावेज़ का प्रयोग किसी निक्षेपागार प्राप्ति प्रस्ताव दस्तावेज़ के लिए नहीं होगा।

(3) इस अधिनियम की धारा 88 के अधीन अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जब तक कि निक्षेपागार प्राप्ति का मोचन नहीं हो जाता है, विदेशी निक्षेपागार बैंक के नाम की प्रविष्ट कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में किया जाएगा।

[फा. सं. 1/21/13-सीएल-वी]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2014

G.S.R. 252(E).— In exercise of the powers conferred by section 41 read with 469 of the Companies Act, 2013, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These Rules may be called Companies (Issue of Global Depository Receipts) Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the 1st day of April, 2014.

2. Definitions. (1) In these Rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Companies Act, 2013 (18 of 2013);

(b) "Section" means section of the Act;

(c) "Scheme" means the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 or any modification or re-enactment thereof;

(2) The Words and expressions used in these rules but not defined and defined in the Act or in the Companies (Specification of definitions details) Rules, 2014 or in the Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depository Receipt Mechanism) Scheme, 1993 shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules or scheme.

3. Eligibility to issue depository receipts. - A company may issue depository receipts provided it is eligible to do so in terms of the Scheme and relevant provisions of the Foreign Exchange Management Rules and Regulations.

4. Conditions for issue of depository receipts. - (1) The Board of Directors of the company intending to issue depository receipts shall pass a resolution authorising the company to do so.

(2) The company shall take prior approval of its shareholders by a special resolution to be passed at a general meeting:

Provided that a special resolution passed under section 62 for issue of shares underlying the depository receipts, shall be deemed to be a special resolution for the purpose of section 41 as well.

(3) The depository receipts shall be issued by an overseas depository bank appointed by the company and the underlying shares shall be kept in the custody of a domestic custodian bank.

(4) The company shall ensure that all the applicable provisions of the Scheme and the rules or regulations or guidelines issued by the Reserve Bank of India are complied with before and after the issue of depository receipts.

(5) The company shall appoint a merchant banker or a practising chartered accountant or a practising cost accountant or a practising company secretary to oversee all the compliances relating to issue of depository receipts and the compliance report taken from such merchant banker or practising chartered accountant or practising cost accountant or practising company secretary, as the case may be, shall be placed at the meeting of the Board of Directors of the company or of the committee of the Board of directors authorised by the Board in this regard to be held immediately after closure of all formalities of the issue of depository receipts:

Provided that the committee of the Board of directors referred to above shall have at least one independent director in case the company is required to have independent directors.

5. Manner and form of depository receipts. - (1) The depository receipts can be issued by way of public offering or private placement or in any other manner prevalent abroad and may be listed or traded in an overseas listing or trading platform.

(2) The depository receipts may be issued against issue of new shares or may be sponsored against shares held by shareholders of the company in accordance with such conditions as the Central Government or Reserve Bank of India may prescribe or specify from time to time.

(3) The underlying shares shall be allotted in the name of the overseas depository bank and against such shares, the depository receipts shall be issued by the overseas depository bank abroad.

6. Voting rights. - (1) A holder of depository receipts may become a member of the company and shall be entitled to vote as such only on conversion of the depository receipts into underlying shares after following the procedure provided in the Scheme and the provisions of this Act.

(2) Until the conversion of depository receipts, the overseas depository shall be entitled to vote on behalf of the holders of depository receipts in accordance with the provisions of the agreement entered into between the depository, holders of depository receipts and the company in this regard.

7. Proceeds of issue. - The proceeds of issues of depository receipts shall either be remitted to a bank account in India or deposited in an Indian bank operating abroad or any foreign bank (which is a Scheduled Bank under the Reserve Bank of India Act, 1934) having operations in India with an agreement that the foreign bank having operations in India shall take responsibility for furnishing all the information which may be required and in the event of a sponsored issue of Depository Receipts, the proceeds of the sale shall be credited to the respective bank account of the shareholders.

8. Depository receipts prior to commencement. - (1) A company which has issued depository receipts prior to commencement of these rules shall comply with the requirements under these rules within six months of such commencement.

(2) Any issue of depository receipts after six months of commencement of these rules shall be in accordance with the requirements of these rules.

9. Non applicability of certain provisions of the Act. - (1) The provisions of the Act and any rules issued thereunder insofar as they relate to public issue of shares or debentures shall not apply to issue of depository receipts abroad.

(2) The offer document, by whatever name called and if prepared for the issue of depository receipts, shall not be treated as a prospectus or an offer document within the meaning of this Act and all the provisions as applicable to a prospectus or an offer document shall not apply to a depository receipts offer document.

(3) Notwithstanding anything contained under section 88 of the Act, until the redemption of depository receipts, the name of the overseas depository bank shall be entered in the Register of Members of the company.

[F. No. 1/21/13-CL-V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.